अध्याय III

नीतिगत परिवेश

2011-12 के दौरान वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां और खराब हो गईं। मंद वैश्विक वृद्धि और इसके कारण बढ़ते जोखिमों के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था में देशी समष्टि-आर्थिक बुनियादी घटक कमजोर होते गए। जहां पश्चिमी देश मंद होती वृद्धि, निरंतर खराब होते सरकारी ऋण संकट की स्थिति और अपने वित्तीय विनियामक ढांचे को सुधारने में लगे हुए हैं, वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वित्तीय/ बैंकिंग विनियमों को उभरते बाजार डायनेमिक्स के साथ कदम मिलाकर चलना होगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे विनियम उद्यमशीलता तथा नवोन्मेष की भावना को समाप्त ही न कर दें। इस परिप्रेक्ष्य में, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र की आघात-सहनीयता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। 2011-12 के दौरान कई नीतिगत उपाय प्रारंभ किये गये जिनमें अधिक ध्यान विनियामक और पर्यवेक्षी तंत्र पर दिया गया। ये उपाय निरंतर जारी वैश्विक पहल के रूप में किये गये, जैसे बैंकों के लिए बासल II उन्नत दृष्टिकोण अपनाना, बासल III के कार्यान्वयन के लिए योजना बनाना, गतिशील प्रावधानीकरण फ्रेमवर्क/ प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के लिए प्रयत्न करना, प्रतिभूतिकरण मानदंड, मज़बूत मुआवजा प्रथाएं तथा बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाना। मनी लांडरिंग/ आंतकवाद के वित्तपोषण की समस्या को सुलझाने, धोखाधड़ी पर नियंत्रण करने, भुगतान और निपटान प्रणालियों तक पहुंच को व्यापक बनाने और बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए गए। रिज़र्व बैंक ने नीतिगत पहल के साथ-साथ अपने आउटरीच कार्यक्रमों द्वारा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने का काम भी जारी रखा।

1. भूमिका

3.1 प्रतिकूल बाह्य परिवेश के बीच, 2011-12 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिनमें स्फीतिकारक दबाव, वृद्धि में मंदी और निरंतर कम होते राजकोषीय और बाह्य क्षेत्र शेष शामिल थे। एक दुरूह समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में, मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाने, वृद्धि में मंदी को रोकने, वित्तीय बाजारों में कामकाज को सहज करने के लिए प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराने और विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को नियंत्रण में रखने के कठिन कार्य करने पड़े। रिज़र्व बैंक ने दिसंबर 2011 के मध्य तक मुद्राफीति विरोधी रुझान जारी रखा। वृद्धि में मंदी के साक्ष्यों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने निरंतर स्फीतिकारक दबावों के चलते ठहराव की स्थिति अपनाने से पहले, समय-पूर्व कार्रवाई करते हुए अप्रैल 2012 में नीतिगत दरों में कमी कर दी ।

3.2 भारतीय बैंकिंग उद्योग कुल मिलाकर वैश्विक वित्तीय उथल-पुथल से अछूता रहा है। वैश्विक संकट ने बासल II विवेकसम्मत विनियामक फ्रेमवर्क में कमियों, सूक्ष्म-पर्यवेक्षी दृष्टिकोण और इसके अनुचक्रीय स्वरूप को उजागर किया। हालांकि 2008 के संकट के बाद, पूरे विश्व में एक समष्टि आयाम को प्राप्त करने के लिए विवेकपूर्ण नीतियों को बदलने की आवश्यकता महसूस की गयी थी, लेकिन संकट से पहले भी भारत समष्टि-विवेकपूर्ण नीतियों को अपनाने में बहुत आगे था। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट से प्राप्त सबक को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक अपनी विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों की निरंतर समीक्षा करता रहा है और उनमें सुधार लाता रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बैंकिंग क्षेत्र में एक मजबूत पूंजी आधार, प्रभावशाली जोखिम प्रबंधन तथा सर्वोत्तम कंपनी अभिशासन मानक स्थापित किये जा सकें। हाल के वर्षों में, ऋण वितरण और ग्राहक सेवा में सुधार लाने तथा वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

3.3 वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक ने वैश्विक विनियामक सुधारों की गतिविधियों के अनुरूप भारतीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत, आघातसहनीय और समावेशक बनाने के लिए कई नीतिगत उपाय जारी रखे। इस अध्याय में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र संबंधी नीति के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख गतिविधियों का उल्लेख किया गया है जिसमें 2011-12 के दौरान विनियामक और पर्यवेक्षी पहल पर कुछ अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है।

2. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखने और वृद्धि में मंदी के प्रति जोखिमों को कम करने के अनुरूप बनाया गया

3.4 वर्ष 2011-12 के दौरान मौद्रिक नीति के रुझान में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने तथा वृद्धि में मंदी को कम करने को प्राथमिकता दी गयी। पहली छमाही में मौद्रिक नीति को स्फीतिकारक दबावों तथा उच्च स्फीतिकारक प्रत्याशाओं के जोखिम को नियंत्रित करना था जबकि दूसरी छमाही में देशी वृद्धि में उल्लेखनीय मंदी को देखते हुए, मौद्रिक नीति ने वृद्धि के स्थिर हो जाने और निम्न तथा स्थिर मुद्रास्फीति के बीच संतुलन लाने का प्रयास किया। इसके साथ-साथ, रुकावटी तथा संरचनात्मक कारणों से विस्तारित अवधि के लिए चलनिधि की कमी के कारण संकेतात्मक सहजता सीमा से अधिक हो जाने के कारण, रिजर्व बैंक को देशी वित्तीय बाजारों के कामकाज को विघ्नरहित रूप से चलाने के उद्देश्य से दीर्घकालिक चलनिधि आपूर्ति के उद्देश्य से खुला बाजार परिचालन सहित सक्रिय चलनिधि प्रबंधन करना पड़ा। इससे मौद्रिक नीति के सामने, अपने रुझान के अनुसार चलनिधि सुगमता के उपाय प्रभावी रूप से संप्रेषित करने की चुनौती उत्पन्न हो गई।

3.5 अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति बहुत उच्च स्तर पर बनी रही जो औसतन 9.7 प्रतिशत पर थी। रिजर्व बैंक ने स्फीति विरोधी रुझान पर चलते हुए, अप्रैल-नवंबर 2011 के दौरान अपनी प्रमुख नीतिगत रिपो दर पांच बार बढ़ाकर उसमें 175 आधार अंकों की वृद्धि की। 2011-12 की चौथी तिमाही के प्रारंभ से, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के कारण मुद्रास्फीति के सहज होने के संकेत थे, वृद्धि में कमी का जोखिम स्पष्टत: बढ़ रहा था। इसके अतिरिक्त, चलनिधि में कमी की स्थितियां रिज़र्व बैंक की सहजता की सीमा से बहुत अधिक थीं। इस बात को समझते हुए, कि यदि अर्थव्यवस्था में ऐसी संरचनात्मक चलनिधि बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, तो ऋण प्रवाह में बाधा आ सकती है और वृद्धि संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं, रिज़र्व बैंक ने 28 जनवरी 2012 और 10 मार्च 2012 से सीआरआर में 125 आधार अंकों की कमी की। वृद्धि में मंदी को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने 17 अप्रैल 2012 को प्रमुख नीतिगत रिपो दर में 50 आधार अंकों की कमी करते हुए उसे 8 प्रतिशत कर दिया। इसके अतिरिक्त, वर्तमान समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने 22 सितंबर 2012 और 3 नवंबर 2012 से सीआरआर में 50 आधार अंकों की कमी करके उसे 4.25 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। रिज़र्व बैंक की नीति दर को देखते हुए, बैंकों ने अपनी जमाराशि और उधार ब्याज दरें परिवर्तित कीं।

3.6 हालांकि कोर मुद्रास्फीति कम हुई, लेकिन यह ऐतिहासिक प्रवृत्ति से अधिक बनी रही। वृद्धि में नरमी के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति उच्च बनी रही। ऐसी स्थिति में मौद्रिक नीति को एक संतुलन बनाए रखना था, जैसे कि अल्पकालिक वृद्धि संबंधी चिंताओं पर ध्यान देते हुए, मूल्य स्थिरता बनाए रखी जाए ताकि मध्यावधि में सुदृढ़ वृद्धि बनाई रखी जा सके।

बचत जमाराशियों में बेहतर मूल्यन लाने के लिए बचत बैंक जमाराशि दर का विनियमन हटाना

3.7 बचत जमाराशि दर के लगातार विनियमन से बैंकों और जमाकर्ताओं - दोनों के साथ प्रतिस्पर्धा बाधित हुई, जिससे इसका तुलनात्मक आकर्षण कम हुआ और उत्पाद नवोन्मेष बाधित हुआ। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि बचत जमाराशियों पर ब्याज के अविनियमन से दर परिवर्तनीय होगी और मौद्रिक संचार में सहायता मिलेगी, रिज़र्व बैंक ने 2011-12 के दौरान बैंकों के तुलन-पत्र के देयता पक्ष में दो प्रमुख परिवर्तन किए, अर्थात् (क) 25 अक्तूबर 2011 से बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर का अविनियमन और (ख) 16 दिसंबर 2011 से अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों के अधीन एक वर्ष तथा अधिक की अवधि की बचत जमाराशि और मीयादी जमाराशियों, तथा अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खातों के अधीन बचत जमाराशि ब्याज दरों का अविनियमन। इन दोनों मदों के संबंध में अविनियमन के बाद की अवधि में परिवर्तन अब तक सहज रहा है। इन सुधारों के साथ, देयता पक्ष के संबंध में, चालू खाता जमाराशियां, विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआरबी) जमाराशियां और विदेशी ऋण के अधीन उधार रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित रहना जारी रहेंगे। आस्ति पक्ष में, आयातकों द्वारा लिए जाने वाले क्रेता-ऋण का विनियमन जारी रहेगा।

विदेशी मुद्रा अंतर्वाह आकर्षित करने के लिए एफसीएनआर(बी) जमाराशियों पर ब्याज की उच्चतम सीमा में वृद्धि

3.8 अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा प्रवाहों में वृद्धि करने के उद्देश्य से, 5 मई 2012 से एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा बढ़ाकर 1-3 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 200, और 3-5 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 300 आधार अंक कर दी गई जो पहले के 1-5 वर्ष की अवधि के लिए लिबॉर/स्वैप दर + 125 आधार अंक थी। 15 नवंबर 2011 से बैंकों द्वारा निर्यातकों के लिए विदेशी ऋण पर ब्याज दर सीमा इस समय 6 माह लिबॉर/यूरो, लिबॉर/यूरीबोर + 250 आधार अंक है जिसकी समीक्षा कभी भी की जा सकती है। वर्तमान क्रेता ऋण पर आल-इन-कास्ट सीमा 6 माह लिबॉर + 350 आधार अंक है जिसकी समीक्षा आवश्यकतानुसार इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर की जा सकती है।

विदेशी मुद्रा ऋणों की सुगमता के लिए निर्यात ऋण ब्याज दर का अविनियमन

3.9 विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दर को 5 मई 2012 से अविनियमित कर दिया गया। इस उपाय से निर्यातकों को विदेशी मुद्रा ऋण अधिक मिलने की संभावना है।

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत बैंकों के लिए बढ़ा हुआ चलनिधि कुशन

3.10 एक दिवसीय अंतर-बैंक मुद्रा बाजार में उथल-पुथल पर नियंत्रण रखने के लिए 9 मई 2011 से मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी प्रारंभ की गई थी जिसके अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को इस सुविधा के कारण एसएलआर अनुपालन में चूक के लिए विशिष्ट छूट मांगे बिना अपने संबंधित एनडीटीएल के एक प्रतिशत तक एक दिवसीय उधार लेने की अनुमति दी गई थी। 21 दिसंबर 2011 से बैंकों को उनकी अतिरिक्त एसएलआर धारिताओं की जमानत पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अधीन रिज़र्व बैंक से निधियां लेने की भी अनुमति दी गई थी। कुछ और अधिक चलनिधि कुशन प्रदान करने के उद्देश्य से 17 अप्रैल 2012 से उधार सीमा और बढ़ाकर एनडीटीएल का 2 प्रतिशत कर दी गई।

बैंक दर को सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप किया गया

3.11 मौद्रिक नीति की परिवर्तित परिचालन प्रक्रिया के संदर्भ में, नीतिगत रिपो दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर परिचालनगत हो गए हैं जबकि बैंक दर 6 प्रतिशत ही बनी रही। बैंक दर बैंकों द्वारा उनकी रिज़र्व आवश्यकताओं में कमी होने पर दंडात्मक दर के रूप में कार्य करती है। कई अन्य संगठनों द्वारा भी सूचकांक प्रयोजनों के लिए बैंक दर का उपयोग संदर्भ दर के रूप में किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अधीन डिस्काउंट दर होने के नाते बैंक दर तकनीकी तौर पर नीतिगत रिपो दर से अधिक होनी चाहिए। इसलिए रिज़र्व बैंक ने यह महसूस किया कि बैंक दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के अनुरूप बनी रहनी चाहिए, जो कि नीतिगत रिपो दर से 100 आधार अंक अधिक है। तदनुसार, 13 फरवरी 2012 से बैंक दर में 350 आधार अंकों की वृद्धि करते हुए उसे 6.0 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 9.5 प्रतिशत वार्षिक कर दिया गया। यह एकबारगी तकनीकी समायोजन था ताकि मौद्रिक नीति के रुझान में बदलाव किए बिना बैंक दर को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के साथ समायोजित कर दिया जाए। इसके परिणामस्वरूप, बैंक दर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर के अनुरूप रही है।

3. ऋण वितरण

3.12 रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को यथोचित दरों पर पर्याप्त और समय पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर काफी बल देता रहा है। सहज और समावेशी आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज के निम्न सेवा प्राप्त क्षेत्रों/तबकों को बैंकिंग की परिधि में लाना बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में, वर्ष के दौरान कई प्रकार की पहलें की गईं जिनमें बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष उधार दिए जाने पर बल; फसल के बाद के परिचालनों के लिए किसानों को ब्याज दर में राहत; कृषि को उधार देने के लिए एक नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा स्थापित करना; एडीडब्ल्यूडीआर योजना, 2008 के अधीन ऋण राहत उपलब्ध कराना; किसान क्रेडिट कार्ड योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इस पर पुनर्विचार; तथा मध्यम और लघु उद्यमों को ऋण के प्रवाह में वृद्धि के लिए उपाय प्रारंभ करना शामिल हैं। वर्ष के दौरान देश के पिछड़े और दक्षिणपंथी अतिवाद

से प्रभावित जिलों में महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए। इसके अतिरिक्त, स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम के दृष्टिकोण और डिज़ाइन को अधिक अनुकूल बनाने के लिए, ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार कुछ ग्राहक-अनुकूल उत्पादस्तरीय परिवर्तन भी किये गये।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के दायरे को बढ़ाया गया

3.13 पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी योजना के परिचालन से प्राप्त अनुभव तथा बदलती आर्थिक स्थितियों के कारण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र संबंधी दिशा-निर्देशों पर पुनर्विचार करना और उन्हें वर्तमान राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अद्यतन बनाना आवश्यक हो गया। तदनुसार, अगस्त 2011 में रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के वर्गीकरण और संबंधित मुद्दों पर संशोधित दिशा-निर्देशों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की (अध्यक्षः श्री एम.वी.नायर)। समिति ने अपनी रिपोर्ट फरवरी 2012 में प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 20 जुलाई 2012 को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के संबंध में दिशा-निर्देशों को संशोधित किया। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के समग्र लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि नए लक्ष्य ऋण के आबंटन में विसंगति ला देंगे। लेकिन विदेशी बैंकों के बढ़ते नेटवर्क को देखते हुए, यह महसूस किया गया कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार के अधीन उनको दी गयी तरजीह पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि जिन विदेशी बैंकों की 20 या अधिक शाखाएं हैं उनके लक्ष्य वही होंगे जो देशी बैंकों के लिए हैं। ये लक्ष्य 1 अप्रैल 2013 से 5 वर्ष की अवधि में प्राप्त किये जायेंगे; दूसरे विदेशी बैंकों के लिए 32 प्रतिशत का वर्तमान समग्र लक्ष्य बना रहेगा।

3.14 समिति का ध्यान बैंकों द्वारा छोटे/सीमांत किसानों और बहुत छोटे उद्यमों को प्रत्यक्ष उधार देने पर रहा। संशोधित दिशा-निर्देशों में कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में लगे व्यक्तियों, स्व-सहायता समूहों और संयुक्त देयता समूहों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण देने पर बल दिया गया है, जबकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि उधार के संबंध में पुराने लक्ष्य ही बने रहेंगे। बैंकों में विलीन या उनके द्वारा प्रबंधित/नियंत्रित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से किसानों को प्राप्त बैंक ऋण कृषि को प्रत्यक्ष उधार के अधीन शामिल किये गये हैं। इससे उन बैंकों को सहायता मिलेगी जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पहुंच नहीं है और जिनको लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सेवा क्षेत्र को प्राप्त अपर्याप्त ऋण प्रवाहों को देखते हुए, सेवाओं की परिभाषा को व्यापक बनाकर कुछ परिवर्तन किये गये ताकि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के अधीन विशिष्ट रूप से शामिल न की गयी सेवाओं को भी शामिल किया जा सके जिनकी सीमा प्रति यूनिट ₹10.0 मिलियन होगी।

3.15 संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में महानगरीय केंद्रों (10 लाख से अधिक की आबादी) पर आवास के लिए ₹2.5 मिलियन तक के ऋण तथा अन्य केंद्रों पर ₹1.5 मिलियन तक के ऋण; भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित व्यक्तियों को ₹1.0 मिलियन तक के ऋण और विदेशों में ₹2.0 मिलियन तक के शैक्षणिक ऋण; आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों के लिए आवास परियोजनाओं के लिए ऋण, बशर्ते प्रति आवास यूनिट लागत ₹0.5 मिलियन से अधिक न हो; गैर-संस्थागत देनदारों के प्रति ऋणी आपदाग्रस्त किसानों को ऋण; किसानों से इतर व्यक्तियों को ₹50,000 तक के ऋण ताकि वे गैर-संस्थागत देनदारों के ऋण की समय पूर्व चुकौती कर सकें; और हाउसहोल्डों के लिए ऑफ-ग्रिड सौर तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने के लिए व्यक्तियों को ऋण गिने जाएंगे।

3.16 इसके अलावा, परिचालनात्मक मामलों पर चुनिंदा बैंकों के साथ आयोजित चर्चा के अनुसरण में और प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर, 17 अक्तूबर 2012 को दिशानिर्देशों में कुछ बातें जोड़ी/संशोधित की गईं। यह निर्णय लिया गया था कि किसानों की उत्पादक कंपनियों, भागीदारी फर्मों और कृषि तथा संबंधित कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी सहकारी संस्थाओं सहित कंपनियों को दिए गए ₹20 मिलियन तक के ऋण भी कृषि को प्रत्यक्ष वित्त के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। मझौले तथा छोटे उद्यमों द्वारा दी गई सेवाओं के संबंध में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत के ऋणों की सीमा बढ़ाकर ₹20 मिलियन की गई और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों तथा निम्न आय समूहों की निवासी इकाइयों की आवास परियोजनाओं के लिए ऋण की सीमा बढ़ाकर ₹1 मिलियन की गई। आगे यह निर्णय

लिया गया कि प्रति उधारकर्ता ₹1 मिलियन तक के आगे उधार दिए जाने वाले आवास ऋण, जो कि बैंकों ने आवास वित्त कंपनियों को दिए है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के तहत शामिल किए जाएं बशर्ते अंतिम उधारकर्ता पर प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर उधारदाता बैंक की आवास ऋण संबंधी न्यूनतम ब्याज दर+दो प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो।

किसानों को दी जाने वाली ब्याज दर राहत फसल कटाई के बाद के कार्यकलापों पर भी लागू

3.17 किसानों को उचित लागत पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 2006-07 के केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गयी थी कि किसानों को 7.0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा जिसकी मूल राशि की अधिकतम सीमा ₹0.3 मिलियन होगी। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के लिए ब्याज राहत की घोषणा की। 2011-12 के केंद्रीय बजट में ₹0.3 मिलियन तक के अल्पकालिक उत्पादन ऋण के लिए 2 प्रतिशत ब्याज राहत की घोषणा की गई और समय पर चुकौती कर देने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त ब्याज सहायता बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दी जिससे ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, परक्राम्य वेयरहाउस रसीदों की जमानत पर जिन छोटे और सीमांत किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, उन्हें 6 महीने की अतिरिक्त अवधि तक के लिए (फसल के बाद) ब्याज राहत दी गयी है। ऐसी आशा है कि इससे इन किसानों द्वारा फसल के आपदा विक्रय में कमी आएगी और उन्हें अपनी फसल गोदामों में रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। जैसा कि 2012-13 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है, ब्याज राहत की योजना इसी आधार पर वर्ष 2012-13 के लिए जारी रहेगी।

कृषि को उधार देने के लिए नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा

3.18 2011-12 के दौरान किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह घोषणा की गई थी कि अच्छी वित्तीय स्थिति वाले मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के लिए नाबार्ड से एक अलग अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा मिलेगी और जहां मध्यवर्ती सहकारी बैंक कमज़ोर हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि समितियों के वित्तपोषण के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक नई अल्पकालिक पुनर्वित्त सुविधा प्रारंभ की जाएगी। पुनर्वित्त की राशि रियलिस्टिक लेंडिंग प्रोग्राम के 45 प्रतिशत के स्तर पर एकसमान होगी। यह सुविधा 4.5 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर उपलब्ध है बशर्ते ₹0.3 मिलियन तक के फसली ऋण पर ब्याज 7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक न हो।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कृषि के लिए अतिरिक्त पुनर्वित्त सुविधा

3.19 नाबार्ड ने पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्रों सहित) में उन सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की है जो प्रति उधारकर्ता को 7 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर पर ₹0.3 मिलियन तक के फसल ऋण दे रहे हैं। तदनुसार, पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य पुनर्वित्त से अधिक क्रमशः 5 प्रतिशत और 25 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वित्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, 5 प्रतिशत के अतिरिक्त पुनर्वित्त की सुविधा पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में बैंकों पर भी लागू कर दी गयी।

कृषि निवेश कार्यकलापों के लिए रियायती पुनर्वित्त सहायता

3.20 पूर्वी क्षेत्र में फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि में निवेश सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2011-12 में बैंकों को 7.5 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर पर पुनर्वित्त देने की योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की परिचालन अवधि दो वित्तीय वर्ष अर्थात् 2011-12 और 2012-13 है। योजना में चार गतिविधियां अर्थात् जल संसाधन विकास, भूमि विकास, कृषि उपकरण (समूह आधार पर ट्रैक्टर के वित्तपोषण सहित) तथा बीज उत्पादन शामिल हैं। बैंकों को पुनर्वित्त के साथ-साथ (क) संयुक्त देयता समूह बनाने तथा उन्हें जोड़ने, (ख) योजना के प्रवर्तन के लिए जागरूकता कार्यक्रमों, (ग) शाखा अधिकारियों के लिए बैठकें आयोजित करने तथा (घ) योजना के अधीन पहचाने गए उद्यमियों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्धारण आवश्यकताओं के संबंध में सहायता दी गई।

कृषि ऋण माफी और ऋण राहत (एडीडब्ल्यूडीआर) योजना, 2008 की प्रगति

3.21 इस योजना के अंतर्गत, ऋणदाता संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा थोड़े-थोड़े अंतराल पर मुआवजा दिया गया (सारणी III.1)। अब तक भारत सरकार ने पांच किश्तों में ₹525 बिलियन

जारी किए हैं। इसमें से, ₹293 बिलियन की राशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी संस्थाओं को प्रतिपूर्ति करने के लिए नाबार्ड को दी गई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों को प्रतिपूर्ति करने के लिए ₹232 बिलियन की राशि जारी की गई। इसमें से, 10 सितंबर 2012 की स्थिति के अनुसार, ₹232 बिलियन की राशि वितरित कर दी गई है जबकि ₹0.81 बिलियन रिज़र्व बैंक द्वारा संबंधित खाते में शेष के रूप में रखे गए हैं ताकि यदि आवश्यक हुआ तो भारत सरकार को भुगतान तथा/या वापसी की जा सके।

किसानों को ऋण वितरण में सहायता के लिए नया इलेक्ट्रानिक किसान क्रेडिट कार्ड

3.22 किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय पर और असुविधा-रहित तरीके से पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक नवोन्मेषी ऋण वितरण प्रक्रिया साबित हुई है। यह योजना पूरे देश में लागू है और बैंकरों और किसानों ने इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया है। योजना को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप और सरल बनाने के लिए तथा किसान क्रेडिट कार्ड के निर्गम को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक कार्यकारी समूह (अध्यक्षः श्री टी.एम.भसीन) गठित किया गया था। उसकी सिफारिशों के अनुसरण में, मई 2012 में एक संशोधित किसान क्रेडिट योजना लागू की गई। संशोधित योजना की मुख्य-मुख्य बातों में फसल ऋण के भाग में, फसल काटने के बाद के खर्च, उपभोग आवश्यकताओं, कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों के लिए कार्यशील पूंजी तथा निवेश, सभी किसान/स्वामी खेतिहर, टेनेन्ट किसान, मौखिक पट्टाधारी और किसान क्रेडिट कार्ड के अधीन सभी बँटाईदार पात्र होंगे, राशि किसी भी वितरण चैनल जैसे कि एटीएम, बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट, पॉइन्ट ऑफ सेल तथा कृषि इनपुट डीलरों तथा मंडियों के साथ मोबाइल फोन पर आधारित लेनदेन; शीघ्र चुकौती के लिए ब्याज में कमी/प्रोत्साहन; और गोदाम की रसीद पर ऋण आदि को पात्र माना जाएगा। एनपीसीआइ किसान क्रेडिट कार्ड तैयार करेगी जो सभी बैंकों द्वारा अपनाया जाएगा।

सारणी III.1: कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना

(राशि ₹ बिलियन में)

ऋणदाता संस्थाएं	भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि (किश्तों में)					
	पहली	दूसरी	तीसरी	चौथी	पांचवी	कुल
	सित. 2008	जुला 2009	जन 2011	नवं 2011	मार्च 2012	
आरआरबी और सहकारी संस्थाएं	175	105	12	0.4	0.0	293
अनुसूचित वाणिज्य बैंक, शहरी सहकारी बैंक तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंक	75	45	101	10	1*	232
कुल	250	150	113	11	1*	525

* इसमें रिज़र्व बैंक द्वारा धारित ₹0.81बिलियन का शेष शामिल है।

एमएसएमई को उधार पर और अधिक ध्यान देना

3.23 सितंबर 2009 में एमएसएमई के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय कार्यबल गठित किया (अध्यक्षः श्री टी.के.ए.नायर)। इस कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2010 में प्रस्तुत की। सिफारिशों के अनुसरण में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सूचित किया गया कि एमएसई उधार में बहुत छोटे उद्यमों का शेयर 60 प्रतिशत होना चाहिए। यह चरणबद्ध रूप में प्राप्त किया जाएगा। अर्थात् 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत, इसके साथ ही, बहुत छोटे उद्यम खातों में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और एमएसई उधार में वर्ष-दर-वर्ष 20 प्रतिशत वृद्धि थी। रिज़र्व बैंक तिमाही आधार पर बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। रिज़र्व बैंक ने अलग-अलग बैंकों के साथ बैठकें की हैं ताकि उनके सन्मुख आ रही बाधाओं को जाना जा सके और उन्हें इस क्षेत्र के लिए ऋण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऋण नीतियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बैंक ने कार्य बल द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाले बैंकों के साथ भी यह मुद्दा उठाया है।

ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि

3.24 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए 1995 में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (आरआईडीएफ) गठित किया गया था। 2011-12 के लिए इस निधि के कोरपस का अंशदान उन देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा किया जाएगा जो कि मार्च 2011 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार का लक्ष्य (40 प्रतिशत) और/या कृषि क्षेत्र के उधार का लक्ष्य (18 प्रतिशत) और/या कमजोर वर्गों के उधार का लक्ष्य

(10 प्रतिशत) पूरा नहीं कर पाए। ग्रामीण बुनियादी परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए आरआईडीएफ से निधियां राज्य सरकारों को उधार दी जाती हैं। आरंभ में उद्देश्य यह था कि इन निधियों का आबंटन केवल फंडिंग गैप के वित्तपोषण के लिए किया जाए, अर्थात् ऐसी परियोजनाओं का वित्तपोषण करना जो लगभग पूरी हो चुकी हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब आरआईडीएफ की निधियां ग्रामीण बुनियादी परियोजनाओं से संबंधित 31 पात्र कार्यों के लिए उपलब्ध हैं। 1995-96 से, प्रत्येक केंद्रीय बजट में सरकार ने इस निधि में वार्षिक आबंटन की घोषणा की है। आरआईडीएफ I के बाद से, कॉर्पस में कई गुना वृद्धि हुई है और आरआईडीएफ XVII (2011-12) के अधीन यह ₹180 बिलियन हो गया। सभी श्रृंखलाओं को एक साथ लेकर उनका संचयी आबंटन ₹1,525 बिलियन था। इसमें भारत निर्माण कार्यक्रम के अधीन ग्रामीण सड़कों के निधीयन के लिए ₹185 बिलियन की एक अलग विंडो शामिल थी। इसके अतिरिक्त, आरआइडीएफ XVII के अधीन, ₹20 बिलियन केवल गोदाम सुविधाएं बनाने के लिए रखे गए हैं।

माइक्रोफाइनैंस

स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम पर पुनर्विचार

3.25 भारत के माइक्रोफाइनैंस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम एक अग्रणी मॉडल बना हुआ है। स्वयं सहायता समूह -बैंक लिंकेज कार्यक्रम के दृष्टिकोण और डिजाइन को और अधिक अनुकूल बनाने के लिए, 27 मार्च 2012 को नाबार्ड ने दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें स्वयं सहायता समूह के अधीन ग्राहकों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप ग्राहक के प्रति कुछ मैत्रीपूर्ण उत्पाद स्तर पर परिवर्तनों का सुझाव दिया गया था, जैसे कि सरप्लस निधियों वाले सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक बचत करना जो अलग से रखे जा सकते हों या अंतर-समूह उधार के लिए प्रयोग किये जा सकते हों; आवश्यकता पर आधारित निधियां उपलब्ध कराना और एक कैश क्रेडिट प्रणाली के माध्यम से बैंकों से ऋण की अवधि को बढ़ाना ताकि बार-बार दस्तावेज़ तैयार करने की जरूरत न रहे और ऋणों के नवीकरण में विलंब न हो; संयुक्त देयता समूह या अन्य उच्च ऋण वाले बिना-कोलैटरल उधार मॉडलों का विस्तार करके छोटे आजीविका समूहों तक पहुंचाना; समूहों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक स्व-निर्धारण प्रक्रिया बनाना; और फेडरेशनों का विकास करना ताकि समूहों को लगातार मार्गदर्शन मिल सके, उनका विकास हो और उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

पिछड़े और वामपंथी अतिवाद-प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों का प्रवर्तन

3.26 देश के 150 पिछड़े और वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलो में, भारत सरकार के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और वित्तपोषण की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना का लक्ष्य उन गैर-सरकारी संगठनों / समर्थक एजेंसियों को शामिल करके, अर्थक्षम और अपनी क्षमता से काम कर सकनेवाले महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना है जो इन समूहों के बैंकों के साथ लिंकेज को प्रोत्साहित करेंगे और सुकर बनायेंगे, निरंतर सहयोग देते रहेंगे तथा ऋणों की चुकौती की जिम्मेदारी भी लेंगे। नाबार्ड इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रति स्वयं सहायता समूह के लिए ₹10,000 की दर पर अनुदान सहायता प्रदान करेगा और उनके प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के उपायों पर आने वाली लागत भी स्वयं उठायेगा ।

स्वयं सहायता समूह / जेएलजी और एमएफआई के क्षमता निर्माण के लिए विकासात्मक सहायता

3.27 2011-12 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप, एमएफडीईएफ में से नाबार्ड द्वारा पात्र एमएफआई को रेटिंग के लिए उपलब्ध कराई गई आवर्ती निधि सहायता, पूंजी सहायता और अनुदान सहायता 1 अप्रैल 2011 से समाप्त कर दी गयी है। तदनुसार, अब से वर्तमान एमएफडीईएफ पूरी तरह से स्वयं सहायता समूहों तथा एमएफआई के लिए प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण, आजीविका प्रवर्तन गतिविधियों तथा जेएलजी बनाने के लिए प्रयोग की जाएगी।

4. वित्तीय समावेशन

3.28 भारत में, आयोजना प्रक्रिया के प्रारंभ से ही निष्पक्षता के साथ वृद्धि एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। इस दिशा में, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य औपचारिक वित्तीय प्रणाली से वंचित लोगों को किफायती मूल्यों पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीर्घकालिक समरस विकास को बनाए रखने के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि

बहुत सारे घरों/क्षेत्रों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, भले ही देश में एक बहुत बड़ा संस्थागत फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया गया है। हाल के वर्षों में, सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा अब तक बैंकरहित/न्यून बैंकिंग क्षेत्रों को औपचारिक वित्तीय सेवाएं देने पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति भी अपनायी गयी है। सार्वभौमिक वित्तीय समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, बैंकों को कई प्रकार की रणनीतियां अपनाने के लिए कहा गया है जिनमें (क) बुनियादी बैंकिंग उत्पाद उपलब्ध कराना; (ख) बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट/बिज़नेस फैसिलिटेटर मॉडल प्रारंभ करना; (ग) कुछ शिथिल किये गये केवाईसी मानदंडों को अपनाकर वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों में छूट देना; (घ) प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग करना; तथा (ङ) जिलों में अधिक आउटरीच प्राप्त करने के लिए वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केंद्र स्थापित करना। 2011-12 के दौरान, देश के दूर-दराज हिस्सों में बैंकिंग सेवाओं की आउटरीच में विस्तार के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने अपनी नीतिगत पहल जारी रखी।

बेहतर ग्रामीण आउटरीच प्राप्त करने के लिए शाखा प्राधिकरण नीति

3.29 2000 से अधिक की आबादी वाले 72,800 गांवों में मार्च 2012 तक बैंकिंग सुविधाएं लाने के उद्देश्य से, और उसके बाद कालांतर में चरणबद्ध रूप में सभी गावों में लाने के लिए, बैंकों को सूचित किया गया कि अपनी वार्षिक शाखा विस्तार योजना (एबीईपी) तैयार करते समय, वे वर्ष के दौरान खोली जानेवाली शाखाओं का कम-से-कम 25 प्रतिशत बैंक रहित ग्रामीण (टियर V तथा टियर VI) केंद्रों पर खोलें। टियर II केंद्रों में पहले से बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, टियर III से टियर VI केंद्रों में देशी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की गई सामान्य अनुमति को टियर II (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 आबादी) केंद्रों में शाखाएं खोलने के लिए दे दी गयी। इसके लिए, सूचना देने की शर्त के अधीन, प्रत्येक मामले में रिज़र्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

खुदरा केंद्रों पर अंतर-परिचालनीयता

3.30 वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए, खुदरा केंद्रों या कारोबारी प्रतिनिधियों के उप-एजेंटों (अर्थात् जहां ग्राहक से मिलना होता है), के स्तर पर अंतर परिचालनीयता की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएः (i) ऐसे खुदरा केंद्रों या बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट के उप-एजेंटों के स्तर पर लेनदेन और उनका प्राधिकरण ऑनलाइन किया जाए; (ii) लेनदेन सीबीएस प्लेटफार्म पर किए जाएं; तथा (iii) भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित की गयी मानक परिचालन कार्यविधि का सभी बैंक पालन करें। लेकिन, ग्राहक से इंटरफेस के बिन्दु पर बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट या उसका खुदरा केंद्र या उप-एजेंट उस बैंक का प्रतिनिधित्व करना जारी रखेगा जिसने बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट को नियुक्त किया है।

बिज़नेस कॉरेस्पांडेंटों की सुविधा के लिए मध्यस्थ ब्रिक-एंड-मॉर्टार स्ट्रक्चर

3.31 इस बात को मानते हुए कि बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट मॉडल की सफलता संबंधित बैंकों की आधार शाखाओं की सहायता और निगरानी पर निर्भर है, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे ऐसे ग्रामीण केंद्रों में आउटलेट स्थापित कर सकते हैं जो वर्तमान आधार शाखा तथा बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट बिन्दुओं के बीच मध्यस्थ ब्रिक-एंड-मोर्टार स्ट्रक्चर (बहुत ही छोटी-छोटी शाखाएं) है ताकि 3 से 4 किलोमीटर की यथोचित दूरी पर लगभग 8 से 10 बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट यूनिटों के समूह को सहायता दी जा सके। ऐसी बहुत ही छोटी-छोटी शाखाओं के पास न्यूनतम आवश्यक बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि सीबीएस और इनका प्रबंध पूर्णकालिक बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। यह आशा है कि ऐसी व्यवस्था से नकदी प्रबंधन, दस्तावेज़ तैयार करने, ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट परिचालनों की निकट से निगरानी करने में कुशलता आएगी। इसके अतिरिक्त, बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट ऐसी बहुत ही छोटी-छोटी शाखाओं से काम कर सकते हैं, जो उस क्षेत्र में उनकी वैधता में इजाफा करें और उनकी विश्वनीयता बढ़ाएं और आम जनता में इतना विश्वास पैदा कर दें कि वे उनकी सेवाओं का उपयोग करना चाहेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष योजना

3.32 एसडीएस के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहमत केंद्रों पर शाखाएं स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने 5 वर्ष के लिए एकबारगी पूंजी लागत और आवर्ती खर्च की प्रतिपूर्ति करने का

बीड़ा उठाया था, और राज्य सरकारें बैंक स्टाफ के लिए आवश्यक परिसर, सुरक्षा और किराये पर स्थान उपलब्ध कराने के लिए सहमत हो गई थीं। रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष सुविधा केवल उन्हीं शाखाओं को दी जाएगी जिन्होंने 30 जून 2012 तक आबंटित केंद्रों पर काम करना शुरू कर दिया है।

5. विवेकपूर्ण विनियामक नीति

3.33 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट ने बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन के व्यापक आयामों को पुनः परिभाषित कर दिया है। अधिकाधिक यह महसूस किया जा रहा है कि विनियामक और पर्यवेक्षी नीतियों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, विशेषकर संपूर्ण प्रणालीगत दृष्टिकोण अपनाकर ताकि बैंकिंग क्षेत्र में अनुचक्रीय गतिविधियों का सामना किया जा सके। वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक की नीतिगत पहल का ध्यान अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने पर रहा। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बासल II फ्रेमवर्क की ओर अग्रसर होने में काफी प्रगति हुई है और उन्नत दृष्टिकोण अपना लेने की दिशा में प्रयास जारी हैं। वर्ष के दौरान जो एक प्रमुख पहल की गयी थी वह है बासल III के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करना। भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के कार्यान्वयन की जांच करने के लिए भी उपाय किये गये। एक गतिशील प्रावधान फ्रेमवर्क बनाने, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ प्रतिभूतिकरण मानदंडों को जोड़ने, सुदृढ़ मुआवजा प्रथाएं अपनाने, गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेश के संबंध में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करने, मनी लांडरिंग/आंतकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण संबंधी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने और बैंकों में विदेशी अंशदान का विनियमन करने के लिए भी पहल की गयी है।

बासल II उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होना

3.34 बासल II फ्रेमवर्क दो प्रकार की कार्यविधियां उपलब्ध कराता है, नामतः, बैंकों को ऋण के लिए पूंजी की आवश्यकता की गणना, बाजार तथा परिचालनगत जोखिमों के संबंध में आधारिक/मानकीकृत दृष्टिकोण और अधिक उन्नत दृष्टिकोण अपनाना। भारत में 1 अप्रैल 2009 से मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बासल II अनुपालक हैं। जुलाई 2009 में, उन्नत दृष्टिकोण को चरणबद्ध रूप में अपनाने के लिए समय सीमा भी पब्लिक डोमेन में रखी गयी। बासल II उन्नत दृष्टिकोण अपना लेने से बैंकों को कई लाभ होते हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जोखिम के आकलन और प्रबंधन में सुधार, निगरानी और सूचना देने की प्रक्रियाएं, उत्पादों का जोखिम-समायोजित सही मूल्यन तथा पूंजी का कुशल आबंटन। फिर भी, इस उन्नत जोखिम-संवेदनशील दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, समग्र जोखिम प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रणालियों, प्रथाओं तथा तौर-तरीकों के संबंध में बैंकों को और अधिक कुशल होना होगा।

3.35 बासल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण के प्रति अग्रसर होने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अपनी तैयारी और रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन स्वैच्छिक आधार पर पूंजी की गणना के लिए बासल II के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम और विभिन्न जोखिमों के लिए उन्नत दृष्टिकोणों के संबंध में यथोचित दिशा-निर्देश क्रमशः अप्रैल 2010, अप्रैल 2011 और दिसंबर 2011 में जारी किए गए थे। इस समय बैंक अपनी तैयारी का आकलन कर रहे हैं और उन्नत दृष्टिकोणों के प्रति अग्रसर होने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन कर रहे हैं।

बासल III के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप

3.36 दिसंबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण के संबंध में बासल समिति (बीसीबीएस) ने ''बासल III: ए ग्लोबल रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेसिलिएन्ट बैंक्स एंड बैंकिंग सिस्टम्स'' नामक एक व्यापक सुधार पैकेज जारी किया। इस सुधार पैकेज का उद्देश्य है - दबाव का स्रोत कुछ भी हो लेकिन वित्तीय और आर्थिक दबाव के कारण उत्पन्न आघातों को सहन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार लाना ताकि वित्तीय क्षेत्र से वास्तविक अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम के फैल जाने में कमी लाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप, 30 दिसंबर 2011 को जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विधिवत विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक ने 2 मई 2012 को भारतीय बैंकों में बासल III के कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए।

3.37 रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश 1 जनवरी 2013 से चरणबद्ध रूप में लागू हो जाएंगे। बैंकों को तैयारी करने और योजना बनाने के लिए समय देने और साथ ही उच्चतर पूंजी आवश्यकताओं के कारण किसी अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम को

न्यूनतम रखने के उद्देश्य से, एक लंबी फेज-इन अवधि दी गई है। बासल III मानदंड 31 मार्च 2018 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे।

दिशा-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

(i) **न्यूनतम पूंजी आवश्यकता:** कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) की कम-से-कम 9 प्रतिशत होनी चाहिए। टियर I पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 7 प्रतिशत होनी चाहिए; और कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का कम-से-कम 5.5 प्रतिशत होनी चाहिए।

(ii) **कैपिटल कन्ज़रवेशन बफर (सीसीबी) :** जोखिम भारित आस्तियों के 2.5 प्रतिशत की कॉमन इक्विटी के रूप में सीसीबी बनाई रखी जानी चाहिए; और सीसीबी के पास कुल पूंजी जोखिम भारित आस्तियों का 11.5 प्रतिशत होगी।

(iii) **लीवरेज अनुपात:** गैर-जोखिम आधारित एक टियर 1 लीवरेज अनुपात निर्धारित किया गया है। 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2017 के दौरान लीवरेज अनुपात का एक पैरलल रन किया जाएगा जिसमें बैंकों को न्यूनतम टियर 1 लीवरेज अनुपात का 4.5 प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्रयास करने चाहिए। बासल समिति के अंतिम प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए लीवरेज अनुपात संबंधी आवश्यकता को अंतिम रूप दिया जाएगा।

3.38 पूंजी संरक्षण बफर तथा विनियामक कटौती सहित बासल III पूंजी आवश्यकताओं की अवधि 1 जनवरी 2013 से प्रारंभ होगी और बासल III नियमों में उल्लिखित समय-सीमा (1 जनवरी 2019) 31 मार्च 2018 से पहले पूरी तरह कार्यान्वित कर दी जाएगी। भारत में, बासल III का कार्यान्वयन 9 महीने पहले कर दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरा कार्यान्वयन बैंकों के वित्तीय क्लोज़र के साथ-साथ हो जाए (सारणी III.2)।

3.39 एक विवेकपूर्ण उपाय के रूप में बासल I/बासल II पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के अधीन बासल समिति द्वारा निर्धारित 8 प्रतिशत की तुलना में रिज़र्व बैंक ने हमेशा ही न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात में 1 प्रतिशत वृद्धि करके उसे 9 प्रतिशत रखा है। इस उच्चतर निर्धारण से बैंकिंग प्रणाली को लाभ ही पहुंचा है। उच्चतर पूंजी पर्याप्तता मानदंडों से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि अलग-अलग बैंक और मजबूत हों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उच्चतर निर्धारण से भारतीय बैंकिंग प्रणाली की गतिशीलता में भी वृद्धि होती है। यह महत्त्वपूर्ण है कि बैंकों को कुछ जोखिमों का सामना करना पड़ता है जिन्हें यथोचित रूप से स्पष्ट नहीं किया जा सकता और निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे जोखिमों पर मुख्यतः अतिरिक्त पूंजी कुशन के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बासल समिति अपने-अपने क्षेत्राधिकारों में उच्चतर न्यूनतम पूंजी आवश्यकता के निर्धारण में राष्ट्रीय विनियामकों को स्वतंत्रता देती है। कई विनियामकों ने बासल समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता की तुलना में उच्चतर पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताएं निर्धारित की हैं।

भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की जांच के लिए गठित कार्यदल

3.40 अनुचक्रीयता हाल में हुई वैश्विक वित्तीय संकट के लिए पहचाने गए अंतर्निहित कारणों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में,

सारणी III.2: बासल III के कार्यान्वयन के लिए चरणवार समय-सीमा

(जोखिम-भारित आस्तियों का प्रतिशत)

न्यूनतम पूंजी अनुपात	1 जन. 2013	31 मार्च 2014	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018
न्यूनतम कॉमन इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1)	4.5	5.0	5.5	5.5	5.5	5.5
पूंजी कंजर्वेशन बफर (सीसीबी)	-	-	0.625	1.25	1.875	2.5
न्यूनतम सीईटी1 +सीसीबी	4.5	5.0	6.125	6.75	7.375	8.0
न्यूनतम टियर1 पूंजी	6.0	6.5	7.0	7.0	7.0	7.0
न्यूनतम कुल पूंजी	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
न्यूनतम कुल पूंजी + सीसीबी	9.0	9.0	9.625	10.25	10.875	11.5
सीईटी1 से सभी कटौतियों का फेज-इन (% में)	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	100.0

बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति ने प्रतिचक्रीय पूंजी बफर बनाने का निश्चय किया है ताकि बैंकिंग क्षेत्र को अतिरिक्त सकल ऋण वृद्धि के दौर से संरक्षित किया जा सके जो प्रायः प्रणालीव्यापी जोखिम के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ होता है। इससे बैंकिंग क्षेत्र को प्रणालीव्यापी दबाव के दौरान भी ऋण का प्रवाह बनाए रखने के लिए पूंजी रखने में मदद मिलेगी। भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर की प्रणाली को परिचालित करने के लिए रिज़र्व बैंक के भीतर एक आंतरिक कार्यदल (अध्यक्षः श्री बी. महापात्र) का गठन किया गया है जो जीडीपी की तुलना में ऋण संबंधी मार्गदर्शी नियमों की उपयुक्तता की जांच करेगा तथा भारतीय संदर्भ में पूंजी बफर संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रयोग किए जा सकने वाले अन्य संकेतकों पर विचार करेगा।

गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे की ओर बढ़ने के प्रयास जारी हैं

3.41 हाल के वैश्विक वित्तीय संकट के संदर्भ में, वित्तीय आस्तियों के लिए क्षति लेखांकन ढांचे की समीक्षा करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है और इस ओर लेखांकन मानक तय करने वाले निकायों, बासल समिति और अन्य अंतरराष्ट्रीय निकायों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाओं की अनुचक्रीयता संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात के प्रयास किये जा रहे हैं कि गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा लागू किया जाए। रिज़र्व बैंक ने तदनुसार गतिशील प्रावधानीकरण ढांचे संबंधी चर्चा-पत्र तैयार कर उसे 30 मार्च 2012 को अपनी वेबसाइट पर डाला। चर्चा-पत्र के बारे में बैंकों और अन्य हितधारियों से प्राप्त अभिमत तथा प्रतिपुष्टि की फिलहाल जांच की जा रही है। अपने लिए अलग से मानदंड बनाने का विचार रखने की क्षमता वाले बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से रिज़र्व बैंक द्वारा बताए गए सैद्धांतिक मॉडल का प्रयोग करते हुए गतिशील प्रावधानीकरण ढांचा शुरू कर सकते हैं। अन्य बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किए गए मानकीकृत जांच-मानकों का प्रयोग करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप प्रतिभूतीकरण संबंधी संशोधित दिशा-निर्देश

3.42 वित्तीय संकट से पहले की अवधि में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण का बाजार तेजी से बढ़ रहा था। बाजार का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2006 में मानक आस्तियों के प्रतिभूतीकरण के संबंध में दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया। तथापि, वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान प्रतिभूतीकरण, विशेष रूप से अमरीकी सब-प्राइम बंधकों के प्रतिभूतीकरण, में बाजार की विफलताओं ने अवक्षेपी भूमिका अदा की। यद्यपि, भारत में प्रतिभूतीकरण बाजार में अपेक्षाकृत सरल संरचनाएं और स्थिर रेटिंग की प्रमुखता है, तथापि संकट के बाद के परिदृश्य में आस्ति संबंधी गुणवत्ता के बारे में प्रकट की गयी चिंताओं ने निवेशकों की प्रतिभूतीकरण संबंधी मांग को प्रभावित किया।

3.43 संकट के पश्चात, विनियामक बदलावों के जरिए प्रतिभूतीकरण के उद्भवकर्ताओं और निवेशकों के प्रोत्साहनों को बेहतर रूप में संयोजित करने संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के फलस्वरूप कई नये विनियामक प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। ऐसे प्रयासों की प्रमुख विशेषताएं न्यूनतम धारण अवधि और न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा हैं। विनियमों में यह प्रस्ताव किया गया कि उद्भवकर्ताओं को एक न्यूनतम रिकवरी कार्यनिष्पादन दर्शाने के बाद ही आस्तियों के प्रतिभूतीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए और प्रतिभूतीकृत आस्तियों का एक भाग प्रतिधारित करते हुए उद्भवकर्ताओं को लेनदेन की समग्र अवधि के दौरान अपनी हितधारिता बनाए रखनी चाहिए। सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं अपनाने के लिए रिज़र्व बैंक ने मई 2012 में प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के बारे में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में प्रतिभूतीकरण संबंधी लेनदेनों के बारे में न्यूनतम धारण अवधि, न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा, एकल ऋण के प्रतिभूतीकरण पर प्रतिबंध, ऋण उद्भव मानदंड, समुचित सावधानी संबंधी मानदंड आदि के बारे में मानक निर्धारित किए गए हैं। सहवर्ती तौर पर, रिज़र्व बैंक ने नकदी प्रवाहों और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के प्रत्यक्ष समनुदेशन के जरिए अंतरण संबंधी लेनदेनों के बारे में कुछ ब्योरेवार दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि प्रतिभूतीकरण मार्ग तथा प्रत्यक्ष समनुदेशन मार्ग के बीच मौजूद संभावित विनियामक अंतरपणन को दूर किया जा सके।

भारतीय बैंकों के बीच सुदृढ़ मुआवजा प्रथाएं

3.44 वैश्विक वित्तीय संकट के पश्चात्, वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने सुदृढ़ मुआवजा प्रथाओं के बारे में अप्रैल और सितंबर 2009 में क्रमशः सिद्धांतों और कार्यान्वयन मानदंडों का एक सेट निकाला।

मुआवजा की संरचना से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक जोखिम उठाने से संबंधित प्रोत्साहनों को कम किया जाना इन सिद्धांतों का उद्देश्य है। इन सिद्धांतों के तहत क्षतिपूर्ति के कारगर प्रबंधन और विवेकपूर्ण जोखिम लेने, कारगर पर्यवेक्षी निगरानी और हितधारी विनियोजन के साथ उसकी संबद्धता आवश्यक है। सुदृढ़ मुआवजा प्रथाओं के लिए वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर, रिज़र्व बैंक ने जुलाई 2010 में अपनी वेबसाइट पर मुआवजा संबंधी दिशा-निर्देशों का मसौदा डालते हुए उसके बारे में जनता से अभिमत मंगाए। इसी बीच, अक्तूबर 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति ने एक परामर्शी पत्र निकाला तथा मई 2011 में अंतिम पत्र जारी किया।

3.45 दिशा-निर्देशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिपुष्टि और बाह्य परामर्शदाताओं की मदद से किए गए प्रभाव विश्लेषण तथा जोखिम संयोजन के बारे में बैंकिंग पर्यवेक्षण की बासल समिति द्वारा निर्धारित तरीकों को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2012 में अंतिम दिशा-निर्देश जारी किया है जो भारत स्थित सभी निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों पर लागू है। ये दिशा-निर्देश वित्त वर्ष 2012-13 से कार्यान्वित किए जाने हैं। इन दिशा-निर्देशों में बैंकों के निदेशक-मंडलों से यह अपेक्षा की गई है कि वे कर्मचारियों के मुआवजों का कारगर प्रबंधन, जोखिम की मात्रा के साथ मुआवजों का विवेकपूर्ण संयोजन करना तथा मुआवजा का उपयुक्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि अब तक की तरह भारत में कार्यरत निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों को अपने पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की स्वीकृति के लिए विनियामक पूर्वानुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

3.46 वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा बनाए गए सिद्धांतों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर सतत निगरानी रखने के लिए, हाल ही में वित्तीय स्थिरता बोर्ड ने एक मुआवजा निगरानी संपर्क समूह गठित किया है जिसमें क्षतिपूर्ति संबंधी प्रथाओं के विषय में विनियामक या पर्यवेक्षी दायित्व संभालने का क्षेत्राधिकार रखने वाली सदस्य-संस्थाओं से विशेषज्ञ लेकर शामिल किए गए हैं। रिज़र्व बैंक भी इस मुआवजा निगरानी संपर्क समूह का एक सदस्य है।

गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेश के बारे में निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाएं

3.47 बैंकों का उन कंपनियों में, जो उनकी सहायक संस्था नहीं हैं, निवेश बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) द्वारा नियंत्रित है। अब तक, उन मामलों को छोड़कर जहां निवेशिती कंपनियां वित्तीय सेवा कंपनियां थीं, ऐसे निवेशों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की कोई अपेक्षा नहीं की गई थी। अतः यह संभव था कि बैंक अन्य संस्थाओं में उनकी धारिताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ऐसी कंपनियों पर नियंत्रण रख सकते थे अथवा उन पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते थे तथा, इस प्रकार, वे ऐसे कार्यकलापों में खुद को संलग्न कर सकते थे जिनकी अनुमति बैंकों को उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं दी गई है। यह उक्त अधिनियम के प्रावधानों की भावना के विरुद्ध होगा तथा विवेकपूर्ण परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं माना जाएगा। अतः यह निर्णय लिया गया कि ऐसी कंपनियों में, जो सहायक संस्था नहीं हैं तथा जो 'वित्तीय सेवा कंपनी' नहीं हैं, बैंकों के निवेश के लिए विवेकपूर्ण दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाएं। संशोधित दिशा-निर्देशों में गैर-वित्तीय कंपनियों में बैंकों के निवेशों के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गयी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक ऐसे कार्यकलाप न करें जिनकी अनुमति उक्त अधिनियम के तहत नहीं दी गई है।

बैंक धनशोधन/आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों की पहचान/का आकलन करेंगे

3.48 भारत सरकार ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण पर प्रतिबंध लगाए जाने का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की जो वित्तीय क्षेत्र में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों के बारे में व्यापक राय एक समेकित रूप में प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया कि वे ग्राहकों, देशों और भौगोलिक क्षेत्रों तथा उत्पादों/सेवाओं/लेनदेनों/सुपुर्दगी चैनलों के लिए धनशोधन/ आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी जोखिमों की पहचान करने एवं उनका आकलन करने के लिए कदम उठाएं। इस संबंध में, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे मध्यम अथवा उच्च जोखिम रेटिंग वाले उत्पादों, सेवाओं एवं ग्राहकों के

लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण और विस्तारित उपाय अपनाकर अपने जोखिम को कारगर तौर पर प्रबंधित और कम करने के लिए अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतियां, नियंत्रण और प्रक्रियाएं तैयार कराएं।

विदेशी अंशदान की प्राप्ति को विनियमित करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010

3.49 भारत सरकार ने विदेशी अंशदान प्राप्त करने एवं विभिन्न संस्थाओं से आतिथ्य स्वीकार करने को विनियमित करने के लिए 1976 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम बनाया। पिछले कुछ वर्षों के दौरान वर्तमान अधिनियम में कमियां देखी गयीं। तदनुसार, भारत सरकार ने नया विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 बनाया तथा उसके तहत विदेशी अंशदान (विनियमन) नियम, 2011 अधिसूचित किया जो 1 मई 2011 से लागू किये गये। बैंकों को कहा गया कि वे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 36 (1) (क) के तहत जारी दिशा-निर्देशों के माध्यम से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, 2010 के संगत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

चेकों/ड्राफ्टों की वैधता अवधि में कमी

3.50 भारत सरकार ने स्ट्रीट फाइनैंसिंग के संबंध में अंतर-मंत्री समूह (आईएमजी) का गठन किया क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि कुछ लोग उसी लिखत को 6 माह के लिए नकदी के रूप में संचालित कर चेकों/ड्राफ्टों की 6 माह की वर्तमान वैधता अवधि का दुरुपयोग कर रहे थे। आईएमजी की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए बैंकों को सूचित किया गया कि वे 1 अप्रैल 2012 से किसी ऐसे चेक/ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर चेक का भुगतान न करें जिन पर वह तारीख या कोई बाद की तारीख हो यदि ऐसे लिखत की तारीख से 3 महीने के बाद उसे प्रस्तुत किया गया हो।

बैंकों के ग्राहकों की बेहतर जोखिम प्रोफाइलिंग करने के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

3.51 बैंकों को सूचित किया गया कि वे भारत स्थित अपने ग्राहकों के लिए यूसीआईसी शुरू करें। यूसीआईसी से बैंकों को ग्राहकों की पहचान करने, उपलब्ध सुविधाओं का पता लगाने, पूर्ण रूप में वित्तीय लेनदेनों पर निगरानी रखने तथा ग्राहकों की जोखिम प्रोफाइलिंग के प्रति बेहतर दृष्टिकोण अपनाने में बैंकों को समर्थ बनाने में मदद मिलेगी। इससे ग्राहकों के लिए बैंकिंग लेनदेन भी आसान होगा। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी उपायों को कारगर तरीके से लागू करने के लिए ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण, ग्राहकों की प्रोफाइल का संकलन, उनका आवधिक अद्यतनीकरण तथा बैंकों द्वारा खातों की निगरानी अत्यंत आवश्यक हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि वे अपने सभी मौजूदा ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण एवं उनके प्रोफाइल के संकलन/अद्यतनीकरण की प्रक्रिया मार्च 2013 के अंत तक पूरी कर लें (बॉक्स III.1)।

बॉक्स III.1: भारत में बैंकों के ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड

वित्तीय आंकड़ों की मूलभूत सर्जक सामग्रियों में से एक है - कंपनियों, संगठनों, फर्मों और अलग-अलग ग्राहकों के बारे में संदर्भ आंकड़ा। संदर्भ आंकड़ों का एक आवश्यक घटक है - ऐसी प्रणालीगत संरचना अथवा कोड जिससे प्रत्येक संस्था/व्यक्ति की पहचान विशिष्ट तौर पर की जाती है। पूरे विश्व में विनियामकों द्वारा सामान्य पहचान व्यवस्था लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। वित्तीय आंकड़ों के लिए एक विशिष्ट विधिक संस्था पहचान (एलईआई) को आदर्श माना जाता है क्योंकि इससे विनियमन एवं जोखिम प्रबंधन में सुधार लाने में मदद मिलती है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड तथा जी-20 के वित्त मंत्रियों और नेताओं ने सामान्य पहचान प्रणाली बनाने के महत्त्व को स्वीकार किया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड वित्तीय लेनदेनों वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं के विशिष्ट संघटन के लिए एकल वैश्विक प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय विनियामकों और उद्योग द्वारा किए जानेवाले कार्यों का समर्थन कर रहा है।

भारत में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे नये खाते खोलते समय ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं का अनुपालन करें ताकि धोखाधड़ी और धनशोधन संबंधी जोखिम को कम किया जा सके। हालांकि भारत स्थित कुछ बैंकों ने स्वेच्छा से विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) विकसित किया है, तथापि विनियामक निर्धारण के अभाव में इस प्रथा का अनुसरण सभी बैंकों द्वारा एकसमान रूप से नहीं किया गया। यूसीआईसी से बैंकों को ग्राहक की पहचान करने, उसके द्वारा प्राप्त की गयी सुविधाओं का पता लगाने, विभिन्न खातों में हुए वित्तीय लेनदेनों पर निगरानी रखने, जोखिम प्रोफाइल में सुधार लाने, ग्राहक की प्रोफाइल के बारे में समग्र राय बनाने तथा ग्राहक के लिए बैंकिंग परिचालनों को सरल बनाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा गठित कार्यदल ने यह प्रस्ताव किया है कि विभिन्न बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के लिए विशिष्ट पहचान की शुरुआत की जाए। जहां संपूर्ण वित्तीय प्रणाली के लिए इस प्रकार की प्रणाली वांछनीय है, वहीं इस बात की संभावना है कि इसे पूर्णतः लागू करने में कुछ समय लगेगा।

इस पृष्ठभूमि में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे शुरुआती तौर पर उनके सभी नये ग्राहकों को यूसीआईसी नंबर आबंटित करने के लिए कदम उठाएं। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अप्रैल 2013 के अंत तक वर्तमान व्यक्तिगत ग्राहकों को भी यूसीआईसी आबंटित करें।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन के बाद नये बैंक लाइसेंसों की स्वीकृति

3.52 26 फरवरी 2010 को केंद्रीय बजट में यह घोषणा की गई कि रिज़र्व बैंक निजी क्षेत्र की संस्थाओं को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने पर विचार कर रहा है तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपेक्षित पात्रता मानदंड पूरे किए जाने की स्थिति में उनके मामले पर भी विचार किया जा सकता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं एवं निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ हुए अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक चर्चा-पत्र तैयार किया तथा अगस्त 2010 में इसे पब्लिक डोमेन में रखा। जनता से प्राप्त अभिमतों और सुझावों की जांच करने तथा सभी हितधारियों एवं सरकार के साथ ब्योरेवार चर्चा किए जाने के बाद दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार किया गया तथा उसे 29 अगस्त 2011 को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

3.53 दिशा-निर्देशों के मसौदे में पात्र प्रवर्तकों, न्यूनतम पूंजी, विदेशी शेयरधारिता, कारोबारी मॉडल एवं वांछनीय कॉरपोरेट ढांचा तथा आवेदक समूह के अभिशासन मानदंडों से संबंधित शर्तें रखी गई हैं। जैसा कि दिशा-निर्देशों के मसौदे में सूचित किया गया है, भारत सरकार बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में कुछ संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जो निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए नीति को अंतिम रूप देने एवं उसका कार्यान्वयन करने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन कर लिए जाने के बाद ही अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे तथा निजी क्षेत्र में नए बैंकों की स्थापना के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वित्तीय संस्थाओं के लिए उधार सीमा में वृद्धि करना

3.54 मार्च 2012 के अंत में रिज़र्व बैंक विनियमन के अधीन पांच वित्तीय संस्थाएं थीं, अर्थात् एक्जिम बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) तथा भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई)। इनमें से चार वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी) रिज़र्व बैंक के पूर्ण विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन हैं। आईआईबीआई ऐच्छिक समापन की प्रक्रिया के तहत है। 2011-12 के दौरान, नाबार्ड और एनएचबी द्वारा व्यक्त कठिनाइयों को देखते हुए उनकी सकल उधार सीमा बढ़ाकर एक वर्ष के लिए उनकी निवल स्वाधिकृत निधियों (एनओएफ) का 11 गुना कर दी गयी है, जिसकी समीक्षा की जाती रहेगी। साथ ही, एक्ज़िम बैंक के लिए सकल उधार सीमा निधि की तंगी के कारण एक वर्ष की अवधि अर्थात् 31 अगस्त 2013 तक के लिए बढ़ाकर एनओएफ का 12 गुना कर दी गई है तथा उसके बाद यह पुन: एनओएफ का 10 गुना हो जाएगी। इसके अलावा, चारों वित्तीय संस्थाओं के लिए अम्ब्रेला सीमा के तहत उधार राशि एनओएफ के 100 प्रतिशत से बढ़ाकर एक वर्ष की अवधि के लिए एनओएफ का 150 प्रतिशत कर दी गई है, जिसकी समीक्षा की जाती रहेगी। बैंकों को जारी विवेकपूर्ण मानदंडों संबंधी दिशा-निर्देश चुनिंदा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर भी लागू किए गए हैं।

6. पर्यवेक्षी नीति

धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा को सुदृढ़ बनाना

3.55 बैंकों द्वारा रिज़र्व बैंक को सूचित बड़े मूल्य वाली धोखाधड़ियों, आवास ऋण खंड के तहत हुई धोखाधड़ियों सहित, का अध्ययन किया गया ताकि नियंत्रण प्रक्रिया में मौजूद ऐसे अंतरालों की पहचान की जा सके जिन्होंने इन धोखाधडियों, विशेष रूप से समवर्ती लेखा-परीक्षा के तहत शाखाओं में हुई धोखाधडियों, को किए जाने में योगदान दिया। यह देखा गया कि उधारकर्ताओं द्वारा जाली दस्तावेज, जिन्हें मूल्यांकनकर्ताओं/अधिवक्ताओं/सनदी लेखाकारों जैसे पेशेवराना लोगों ने प्रमाणित किया था, प्रस्तुत किए जाने के कारण बड़ी संख्या में धोखाधड़ियां की गईं। अध्ययन के निष्कर्षों के प्रकाश में बैंकों को सूचित किया गया कि वे समवर्ती लेखा-परीक्षा को अधिक प्रभावी बनाएं ताकि, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें भी सुनिश्चित की जा सकें - टाइटल प्रलेखों का सत्यापन, विशेष रूप से बड़े मूल्य वाले उधारों के मामले में; भूमि की प्रतिभूति पर लिए गए उधारों के मामले में स्थानीय राजस्व प्राधिकारियों से सत्यापन रिपोर्टें मंगाना; उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत सनदी लेखाकारों के प्रमाणपत्रों, संपत्ति मूल्यन प्रमाणपत्रों तथा विधिक प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का स्वतंत्र सत्यापन करना; तथा आंतरिक अनुशासन, स्टाफ का आवर्तन और नियंत्रण एवं संतुलन की प्रणाली विकसित करना।

बैंकों की ब्याज दर संवेदनशीलता ज्ञात करने के लिए नयी विवरणी

3.56 4 नवंबर 2010 की अधिसूचना के अनुसार, जून 2011 को समाप्त तिमाही से डीएसबी विवरणियों के तहत एक नई विवरणी शुरू की गई ताकि अवधि अंतराल विश्लेषण (आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य) के तहत बैंकों की ब्याज दर संवेदनशीलता ज्ञात की जा सके। पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (अर्जन परिप्रेक्ष्य) के तहत ब्याज दर संवेदनशीलता की वर्तमान रिपोर्ट के फार्मेट को भी संशोधित किया गया है ताकि वैश्विक स्थिति एवं सुसंगत मुद्राओं की स्थिति (घरेलू स्थिति तथा भारतीय रुपए की वर्तमान रिपोर्टिंग को देखते हुए) ज्ञात की जा सके।

बैंकों की पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा की गयी पहलें

3.57 नवंबर 1994 में गठित वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी और विनियामक पहलों के पीछे मौजूद मुख्य मार्गदर्शी शक्ति है। जुलाई 2011 से जून 2012 तक की अवधि के दौरान वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड की 10 बैठकें हुईं। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने निरीक्षण रिपार्टों संबंधी ज्ञापन की समीक्षा करने के अलावा 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कार्यनिष्पादन और उनकी वित्तीय स्थिति की जांच की।इसने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की 88 निरीक्षण रिपोर्टों संबंधी ज्ञापन की समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड ने अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्टों के सारांश/वित्तीय मुख्य बिंदुओं की भी समीक्षा की। वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के निदेशों को ध्यान में रखते हुए, बैंकों की पर्यवेक्षी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की पहलें की गईं, यथा वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्टों के कवरेज की समीक्षा करना तथा एक संशोधित फार्मेट और नया दिशा-निर्देश जारी करना; भूसंपदा और केवाईसी/एएमएल जैसे क्षेत्रों की विषयपरक समीक्षा करना और उनके निष्कर्षों से वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड को अवगत कराना; विदेशी बैंकों को यह सूचित करना कि लेखापरीक्षा की प्रक्रिया और उसके अनुपालन के बारे में कारगर निगरानी के लिए सीईओ को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए; तथा बैंकों को यह सूचित करना कि वे पात्र बैंक वित्त को ज्ञात करने के लिए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण और अन्य प्रलेखीकरण प्रभार शामिल न करें क्योंकि ये प्रभार वसूलीयोग्य नहीं हैं।

उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा बैंकों के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की संस्तुति की गई

3.58 बैंकिंग व्यवसाय में आकार, संख्या और जटिलताओं के रूप में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ हाल के वर्षों में भारत के बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव देखे गये हैं। रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं/ तकनीकों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी (अध्यक्षः डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) का गठन किया, जिसने 11 जून 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्चस्तरीय स्टीयरिंग कमेटी ने ऐसे उपायों की संस्तुति की जिनसे लेनदेन-परीक्षण आधारित (कैमेल्स) ढांचे के माध्यम से विगत कार्यनिष्पादन की जांच करने संबंधी वर्तमान पर्यवेक्षी दृष्टिकोण को प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग करते हुए एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण में रूपांतरित किया जा सके ताकि जोखिम वाहकों का पता लगाया जा सके और बैंकों की बहियों में जोखिमों के मार्ग और उनके पारगमन की भविष्यवाणी की जा सके। बैंकों के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के 'सभी के लिए एक आकार की उपयुक्तता संबंधी दृष्टिकोण' को एक सतत पर्यवेक्षी दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है जो पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा प्रस्तुत जोखिमों पर आधारित है। जोखिम मैट्रिक्स में बैंक की स्थिति पर आधारित रिज़र्व बैंक का पर्यवेक्षी रुख इन चार में से एक हो सकता है - 'आधार स्तरीय निगरानी', 'कड़ी निगरानी', 'सक्रिय निगरानी' तथा 'सुधारात्मक कार्रवाई' - तथा इसमें पर्यवेक्षी चक्र के दौरान पर्यवेक्षक द्वारा शुरू की जानेवाली विशिष्ट पर्यवेक्षी कार्रवाइयां शामिल होंगी। जोखिम आकलन तथा पर्यवेक्षी कार्रवाइयों से आरंभिक अवस्था में जोखिमों की पहचान एवं प्रभावी हस्तक्षेप में मदद मिलना अभिप्रेत है ताकि बैंकिंग प्रणाली को होने वाली हानियों/संभाव्य विघटनों को न्यूनतम किया जा सके। कुल मिलाकर, समिति की सिफारिशों का आशय यह है कि प्रोत्साहनों एवं गैर-प्रोत्साहनों की प्रणाली के जरिए एक संकेतात्मक समय-सीमा के भीतर जोखिम आधारित कारोबारी संचालन को अपनाने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित किया जाए। कार्यान्वयन के लिए समिति की सिफारिशों

पर विचार किया जा रहा है। पहले कदम के रूप में, बैंकों को इस निर्णय की सूचना दी गयी है कि वे अगले पर्यवेक्षी चक्र (2013-14) से पर्यवेक्षण के जोखिम आधारित दृष्टिकोण में संक्रमण करें। उन्हें यह सूचित किया गया है कि वे जोखिम आधारित पर्यवेक्षण शुरू करने के लिए अभिज्ञात कुछ आवश्यक अपेक्षाओं के प्रति अपनी जोखिम प्रबंधन संरचना, संस्कृति, प्रथाओं और सम्बद्ध प्रक्रियाओं की स्थिति का आकलन करें।

एफएसडीसी छत्र के तहत वित्तीय संगुटों के लिए पर्यवेक्षी/विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाना

3.59 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) तथा उसकी उप समिति के लिए उद्दिष्ट अधिदेशों में से एक है - वित्तीय संगुटों (फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स) का पर्यवेक्षण। फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के पर्यवेक्षण के लिए संस्थागत ढांचा बनाने तथा उनके कार्यकलापों से उत्पन्न प्रणालीगत जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप समिति ने रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर की अध्यक्षता में एक अंतर-विनियामक मंच बनाने को अनुमोदित किया है, जिसमें अन्य प्रमुख विनियामक/पर्यवेक्षी एजेंसियों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। इस अंतर-विनियामक मंच का दायित्व फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के लिए नीति निर्माण करने (यथा पहचान, समूहव्यापी जोखिम प्रबंधन, समूहव्यापी पूंजी पर्याप्तता और कॉरपोरेट अभिशासन) तथा फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स का उच्चस्तरीय पर्यवेक्षण करना होगा। यह मंच फाइनैंशियल कांग्लोमरेट्स के कारगर पर्यवेक्षण के लिए देशी पर्यवेक्षकों के बीच पर्यवेक्षी समन्वय/सहयोग की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का भी प्रयास करेगा।

7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति के पुनर्जीवन के लिए उनका पुनर्पूंजीकरण

3.60 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) के मौजूदा स्तर का अध्ययन करने तथा 31 मार्च 2012 तक इसे बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर देने के लिए एक भावी कार्य योजना का सुझाव देने संबंधी समिति (अध्यक्षः डॉ. के.सी.चक्रवर्ती) की सिफारिशों को स्वीकार कर भारत सरकार ने 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 40 के लिए पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम की घोषणा की, ताकि मार्च 2012 तक उनके सीआरएआर को 9 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सके। भारत सरकार ने, अन्य शेयरधारकों के साथ ₹22 बिलियन की धनराशि उपलब्ध कराते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण का निर्णय लिया। शेयरधारिता के लिहाज से भारत सरकार/प्रायोजक बैंकों/राज्य सरकारों का कर अनुपात और राशि क्रमशः 50:35:15 तथा ₹11 बिलियनः ₹8 बिलियन : ₹3 बिलियन है। भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2011-12 के लिए ₹5 बिलियन का बजट प्रावधान किया।

3.61 31 मार्च 2012 तक 16 राज्यों के 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ₹10 बिलियन की राशि जारी की गई। 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में पुनर्पूंजीकरण (ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक) में पूरा हो गया है। छह राज्य सरकारों (मणिपुर, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मिजोरम तथा जम्मू और कश्मीर) द्वारा 13 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कोई राशि जारी नहीं की गई है। पूरी तरह से पुनर्पूंजीकृत 16 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 12 ने 31 मार्च 2012 तक सीआरएआर के निर्धारित 9 प्रतिशत स्तर को हासिल कर लिया है। इसके अलावा, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निर्धारित सीआरएआर स्तर को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शाखा विस्तार

3.62 वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिए जाने की कार्यनीति के एक अंग के रूप में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को कहा गया था कि वे विशेष रूप से अभी तक बैंक सुविधा-रहित रहे क्षेत्रों में सक्रिय शाखा विस्तार कार्यक्रम शुरू करें। विस्तार की योजना के तहत प्रौद्योगिकी की मदद और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन द्वारा स्टाफ को विवेकपूर्ण तरीके से शाखाओं में तैनात किया जा सकता है। 31 मार्च 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 16,914 शाखओं का

नेटवर्क था। भारत सरकार की सलाह के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दो वर्षों अर्थात् 2010-11 और 2011-12 में 2,000 शाखाएं खोली जानी थीं। इसकी तुलना में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2010-11 में 521 तथा वर्ष 2011-12में 913 शाखाएं खोली गईं जो निर्धारित लक्ष्य से कम है। भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी प्रायोजक बैंकों को सूचित किया है कि वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मौजूदा शाखा नेटवर्क का 10 प्रतिशत रहेगा। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान 1,700 शाखाएं खोला जाना अपेक्षित होगा।

3.63 वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 31 मार्च 2012 तक 73,000 ऐसे गांवों को, जहां अब तक किसी बैंक की उपस्थिति नहीं थी और जिनकी आबादी 2000 या इससे अधिक थी, आईसीटी-समर्थित बिज़नेस कॉरेस्पांडेंट्स के माध्यम से कवर किया जाना था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,000 गांव आबंटित किए गए हैं और जिन स्थानों पर भौतिक शाखाएं खोला जाना व्यवहार्य नहीं है, वहां बैंक अति-लघु शाखाओं (यूएसबी) से शुरुआत कर सकेंगे; बाद में ऐसे स्थानों पर बैंक कारोबार का वांछित स्तर प्राप्त कर लिए जाने पर ऐसी अति-लघु शाखाओं स्तरोन्नयन करके उन्हें नियमित बैंक शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पर्यवेक्षी और विनियामक पहलें

3.64 वर्ष 2011-12 के दौरान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पर्यवेक्षण से जुड़े मामलों के लिए कई नीतिगत पहलें की गईं। इन उपायों में शामिल हैं - धोखाधड़ी निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली में सुधार के लिए संशोधित दिशानिर्देश, धोखाधड़ी करने के लिए अपनाए गए तरीकों और कुछ बैंकों द्वारा आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का परिचालन; अपने ग्राहक को जानिए दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित पहलुओं को कवर करते हुए संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन; धनशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना; आंतरिक जांच और नियंत्रण प्रणाली; कंपनी अभिशासन और आस्ति देयता प्रबंधन।

8. सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंक

पात्र शहरी सहकारी बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग की अनुमति दी गई

3.65 ऐसे अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को जिनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹1 बिलियन है, जोखिम भारित पूंजी आस्ति अनुपात कम-से-कम 10 प्रतिशत है, निवल अनर्जक आस्तियां 5 प्रतिशत से कम हैं और जिन्होंने लगातार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में शुद्ध लाभ अर्जित किया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से इंटरनेट बैंकिंग सुविधा की पेशकश करने की अनुमति दी गई ताकि वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकें।

आवास ऋण की सीमा और चुकौती अवधि में संशोधन

3.66 टियर I श्रेणी के शहरी सहकारी बैंकों को आवासीय इकाई के लिए प्रति लाभभोगी अधिकतम ₹3.0 मिलियन तक का वैयक्तिक आवास ऋण दिए जाने; टियर II श्रेणी में आवासीय इकाई के लिए प्रति लाभभोगी अधिकत ₹7.0 मिलियन तक का वैयक्तिक आवास ऋण दिए जाने की अनुमति मौजूदा विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं के अधीन दी गई है। शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों द्वारा मंजूर किए जानेवाले आवास ऋणों की चुकौती की अधिकतम अवधि को संशोधित करके वर्तमान 15 साल से 20 साल किया गया।

रुपया निर्यात ऋण की ब्याज दर पर आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी

3.67 कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, इन क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने रुपया निर्यात ऋण के ब्याज दर पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। तदनुसार, एडी श्रेणी 1 शहरी सहकारी बैंकों को इन क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 एवं 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2013 तक पोत-लदानोत्तर और पोत-लदानपूर्व रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की आर्थिक सहायता देने संबंधी निर्णय के बारे में सूचित किया गया।

शहरी सहकारी बैंकों को एनडीएस-ओएम की सदस्यता की मंजूरी

3.68 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वामित्व वाली एनडीएस-ओएम, महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में कारोबार के लिए स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक बेनामी ऑर्डर मिलान प्रणाली है। वर्तमान में, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, बीमा कंपनियों और म्यूचुअल फंड जैसी संस्थाएं इसकी सदस्यता ले सकती हैं। रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के पश्चात कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों को तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) ऑर्डर मिलान (ओएम) पर सीधी पहुंच की अनुमति दी गयी थी।

भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और अन्य साख सूचना कंपनियों को ऋण संबंधी सूचना का प्रस्तुतीकरण

3.69 शहरी सहकारी बैंकों को ₹10.0 मिलियन और उससे ऊपर के लिए संदिग्ध और हानि के तौर पर वर्गीकृत वाद दाखिल खातों और ₹2.5 मिलियन और उससे ऊपर के लिए इरादतन चूककर्ताओं के वाद दाखिल खातों की सूची तिमाही आधार पर भारतीय साख सूचना ब्यूरो लिमिटेड (सीआईबीआईएल) और/या उन अन्य साख सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जिन्होंने रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो और बैंक जिसका एक सदस्य हो।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचा

3.70 शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति के अपने आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक निगरानी और पर्यवेक्षी कार्रवाई करता है। 1 मार्च 2012 से शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई ढांचे को लागू किया गया। इस ढांचे में शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में गिरावट आने के प्रारंभिक चरण में ही खुद उनके प्रबंधन द्वारा स्व-सुधारात्मक कार्रवाई और बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार न होने के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षी कार्रवाई किये जाने की परिकल्पना की गयी है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ भारतीय लेखांकन प्रणाली (आईएएस) की अभिरूपता

3.71 जैसा कि वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-11 में घोषित किया गया था, ₹3 बिलियन से अधिक के निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को 1 अप्रैल 2013 से और ₹2 बिलियन से अधिक और ₹3 बिलियन से कम मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों को 1 अप्रैल 2014 तक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ अभिरूपित भारतीय लेखांकन प्रणाली (आईएएस) अपनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया जिससे वे इस दिशा में अपनी तैयारी रख सकें।

शहरी सहकारी बैंकों के आवास/ वाणिज्यिक रीयल एस्टेट ऋण के एक्सपोज़र में संशोधन

3.72 शहरी सहकारी बैंकों को पहले रीयल एस्टेट, वाणिज्यिक रीयल एस्टेट और आवास ऋण पर अपने कुल आस्तियों के अधिकतम 10 प्रतिशत तक एक्सपोजर की अनुमति दी गयी थी, जिसके साथ ₹1.5 मिलियन तक के आवास ऋण के लिए अपनी कुल आस्तियों की 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा भी उपलब्ध थी। शहरी सहकारी बैंकों को अपनी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा को ₹2.5 मिलियन तक के आवास ऋण की मंजूरी प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया जिससे इस अतिरिक्त सीमा के भीतर प्राथमिक क्षेत्र के सभी आवास ऋणों को कवर किया जा सके।

9. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)

सोने पर ऋण से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए कार्यदल

3.73 हाल की अवधि में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा सोने के बदले ऋण दिए जाने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सोने के बदले दिए जाने वाले ऋण से संबंधित मामलों को तत्काल निपटाने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उचित दस्तावेजी प्रक्रिया और केवाईसी मानदंडों का सावधानीपूर्वक अनुपालन नहीं कर रही

हैं। सोने के आयात में तेजी से बढ़ोत्तरी आयी है जिससे समष्टि-आर्थिक चिंताएं बढ़ गयी हैं। इन पहलुओं के विस्तृत अध्ययन के लिए एक कार्यदल (संयोजक: श्री के.यू.बी. राव) का गठन किया गया। समूह को सौंपे गए प्रमुख मुद्दे हैं (i) स्वर्ण ऋण के रुझान और सोने के आयात पर इसके प्रभाव का आकलन करना, (ii) बाह्य और वित्तीय स्थिरता के लिए सोने के आयात के प्रभाव का विश्लेषण करना; (iii) सोने की कीमतों की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना और इसकी जांच करना कि क्या स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी सोने की कीमतों को प्रभावित करने में किसी भी प्रकार की भूमिका निभा रही हैं ; (iv) स्वर्ण ऋण के लिए एनबीएफसी के धन के स्रोतों की जांच करना, विशेष रूप से बैंकिंग प्रणाली से उधार ली गयी राशि के लिए और (v) सोने की जमानत पर उधार देने में शामिल एनबीएफसी के मौजूदा तरीकों की जांच करना। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2012 में प्रस्तुत कर दी है।

10. बैंकों में ग्राहक सेवा

बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए दामोदरन समिति की सिफारिशें लागू करना

3.74 बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) ने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2011 में प्रस्तुत की। समिति ने कुल 232 सिफारिशें कीं जिनमें से 152 सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया। रिज़र्व बैंक आईबीए, भारतीय बैंकिंग कोड और मानक बोर्ड, बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ चर्चा कर शेष सिफारिशों को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन करने के बाद शेष सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए आईबीए ने अब एक उप समूह का गठन किया है।

फोरक्लोज़र प्रभार को खत्म करने से आवास ऋण का मूल्य निर्धारण बेहतर होगा

3.75 बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में गठित समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) ने यह पाया कि आवास ऋण के समय-पूर्व भुगतान पर बैंकों द्वारा लिए जा रहे फोरक्लोजर प्रभार का लगभग सभी आवास ऋण उधारकर्ताओं ने विरोध किया है। विरोध विशेषकर उन मामलों में किया गया है, जहां बैंकों ने गिरते हुए ब्याज दर के माहौल में वर्तमान उधारकर्ताओं को कम ब्याज दर का लाभ देने में हिचकिचाहट दिखाई। ऐसे में फोरक्लोजर प्रभार को एक प्रतिबंधक तरीके के तौर पर देखा जा रहा है जो ग्राहकों को उपलब्ध सस्ते ऋण को प्राप्त करने से रोक रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि तत्काल प्रभाव से बैंकों को अस्थिर ब्याज दर वाले आवास ऋण पर फोरक्लोजर प्रभार/पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं होगी। आवास ऋण पर फोरक्लोज़र प्रभार हटा लेने से वर्तमान और नए उधारकर्ताओं के बीच हो रहे भेदभाव में कमी आएगी और बैंकों के बीच होनेवाली प्रतिस्पर्धा के कारण अस्थिर ब्याज दर वाले आवास ऋण की कीमतें बेहतर तरीके से निर्धारित होंगी।

बैंक सभी ग्राहकों को आधारभूत बैंक बचत जमा खाता खोलने की सुविधा प्रदान करेंगे

3.76 वित्तीय समावेशन के एजेंडा को आगे ले जाने के लिए नवंबर 2005 में रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सलाह दी कि वे जनसंख्या के अधिकांश हिस्से को बुनियादी बैंकिंग वाली 'नो-फ्रिल्स' खाता-सुविधा उपलब्ध कराएं जिसमें या तो 'शून्य' या बहुत कम शेष रखने की जरूरत पड़े, इसके साथ-साथ उसमें प्रभार भी बहुत कम होने चाहिए। 'नो-फ्रिल्स' खातों को लागू करने से अब तक के अनुभवों से यह बात सामने उभरकर आयी है कि बैंकों ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही पहल की है। इसकी समीक्षा के बाद बुनियादी बैंकिंग 'नो-फ्रिल्स' खातों को खोले जाने की संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया और संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में एक ही तरीके की बुनियादी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। 2012-13 के वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में घोषणा की गयी थी कि बैंक सभी ग्राहकों को 'न्यूनतम सुविधाओं के साथ' बुनियादी बैंक जमा बचत खाता उपलब्ध कराएंगे और इसमें न्यूनतम शेष रखने की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम शेष न रखने पर प्रभार लगाए जाने के संबंध में ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शिकायतों का निपटारा भी इससे हो जाएगा।

बैंकों को जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज दर में न्यूनतम बदलाव सुनिश्चित करना होगा

3.77 निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों और ₹1.5 मिलियन से अधिक की एकल सावधि जमा योजनाओं को छोड़कर किसी भी

जमा योजना पर दिए जाने वाले ब्याज दर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किए जाने संबंधी रिज़र्व बैंक की शर्त के बावजूद बैंकों की खुदरा और बड़ी जमाराशियों की ब्याज दर में बहुत ज्यादा अंतर देखा गया है जिससे खुदरा जमाकर्ताओं के प्रति अनुचित बर्ताव झलकता है। परिपक्वता अवधि में थोड़े-बहुत अंतर वाली जमाराशियों पर भी बैंक भिन्न-भिन्न ब्याज रहे हैं जिससे बैंकों में अपर्याप्त चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और अपर्याप्त मूल्य निर्धारण के मौजूदा तरीकों का संकेत मिलता है। 2012-13 के वार्षिक मौद्रिक नीति व्यक्तव्य में रिज़र्व बैंक ने यह घोषित किया था कि बैंको में देनदारियों के कीमत-निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारदर्शी नीति होनी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ₹1.5 मिलियन या इससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों और अन्य जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज दर के बीच बहुत कम अंतर हो।

अंत: बैंक जमाखातों की पोर्टेबिलिटी उपलब्ध कराना

3.78 कुछ बैंक इस बात पर बल दे रहे थे कि जब ग्राहक उसी बैंक में एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते के स्थानांतरण का अनुरोध करता है तो वे वहां नया खाता खोलें। इससे ग्राहकों को दोबारा केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जिसके कारण उन्हें असुविधा के साथ-साथ खराब ग्राहक सेवा प्राप्त होती थी। कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) के युग में इस प्रकार की प्रथाएं उचित प्रतीत नही होतीं। इसलिए बैंकों को यह सलाह दी गयी कि यदि बैंक की किसी शाखा ने केवाईसी के सभी मानदंडों की जांच कर ली है तो इसे बैंक के भीतर ही खाते के स्थानांतरण के मामले में वैध माना जाए। ग्राहकों को बिना किसी प्रतिबंध के एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते के स्थानांतरण की अनुमति दी जाए। व्यक्ति के सही पते के संबंध में केवाईसी के मानदंडों को पालन करने के लिए अंतरिती शाखा नये पते का प्रमाण मांग सकती है।

बाहरी चेक और त्वरित समाशोधन के लिए बैंक उचित सेवा प्रभार ले सकते हैं

3.79 रिज़र्व बैंक ने बैंकों को ₹0.1 मिलियन से ऊपर के मूल्य वाले चेकों के शीघ्र समाशोधन और बाहरी चेक निपटान प्रणाली के माध्यम से चेक समाशोधित करने के लिए संग्रह प्रभार वसूलने की की छूट दी है बशर्ते ऐसे सभी प्रभार पारदर्शी और उचित तरीके से लगाए गए हों। 'उचित और पारदर्शी तरीके' में लागत-*प्लस* पर सेवा प्रभार लगाना भी शामिल है। हालांकि कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें बैंकों ने लिखतों के मूल्य के अनुसार मनमाने तरीके से प्रभार वसूले हैं। इसलिए रिज़र्व बैंक ने ऐसे बैंकों को इसकी समीक्षा करने की सलाह दी है और लागत-प्लस आधार पर प्रभारों को तय किए जाने की सलाह दी है। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी है कि व ₹ 0.1 मिलियन से कम मूल्य वाले लिखतों के लिए वसूली प्रभार कम रखें जिससे बाहरी चेक वसूली की तुलना में शीघ्र समाशोधन को बढ़ावा दिया जा सके।

11. वित्तीय बाज़ार

प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम

3.80 वर्ष 2011-12 के दौरान प्राथमिक व्यापारी प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहलें की गईं। प्राथमिक व्यापारियों के प्राधिकरण के विषय में अंतिम दिशा-निर्देश 30 अगस्त 2011 को जारी किये गये थे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्राथमिक व्यापारी बनने के लिए आवश्यक शर्तों, मिड सेगमेंट और खुदरा निवेशकों की ओर से महत्त्वपूर्ण प्रतिभूतियो में न्यूनतम कारोबार और बाहर निकलने/समाप्ति प्रक्रिया को कवर किया गया था। कार्पोरेट बांड के साथ जुड़े हुए ऋण जोखिमों को हस्तांतरित और प्रबंधित करने के लिए बाज़ार सहभागियों को एक टूल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2011 में कार्पोरेट बांड पर क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की शुरुआत की। स्टैंडअलोन प्राथमिक व्यापारी बाजार निर्माता के साथ-साथ प्रयोगकर्ता के रूप में भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप में लेन-देन कर सकते हैं। प्रयोगकर्ता के तौर पर, प्राथमिक व्यापारी अपनी कारोबारी बही में रखे गये कार्पोरेट बांड में मौजूदा ऋण जोखिम को क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का प्रयोग कर हेज़ कर सकते हैं।

विदेशी मुद्रा बाज़ार में उतार-चढ़ाव कम करने के लिए प्रशासनिक कदम

3.81 वर्ष 2011-12 के दौरान भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में हुए उतार-चढ़ाव, विशेषकर अगस्त 2011 से अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के मूल्य में 20 प्रतिशत से अधिक के मूल्यह्रास के मद्देनजर 15 दिसंबर 2011 को रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए कई प्रशासनिक उपायों में ये शामिल हैं : निवासी और विदेशी संस्थागत निवेशकों को संविदागत एक्सपोज़र के अधीन उपलब्ध करार को रद्द करने और पुनः बुकिंग करने की सुविधा को वापस लेना; आयातकों के लिए पूर्वनिष्पादन सुविधा के तहत

सीमा को वर्तमान सीमा के 25 प्रतिशत तक घटा देना; निर्यातकों और आयातकों को पूर्वनिष्पादन सुविधा केवल डिलीवरी आधार पर उपलब्ध कराना; ग्राहकों की ओर से प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किए गए ऐसे सभी लेन-देनों को वास्तविक विप्रेषण/डिलेवरी के अंतर्गत लिया जाना, जिसे रद्द/नगदी से निपटाया नहीं जा सकता; प्राधिकृत व्यापारियों के नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट (एनओओपीएल) में कटौती करना; और विशेष रूप से उल्लेख करना कि प्राधिकृत व्यापारियों की अंतर्दिवसीय स्थिति / दैनिक सीमा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा द्वारा अनुमोदित मौजूदा एनओओपीएल से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.82 10 मई 2012 को यह दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे कि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों (ईईएफसी) के अधिशेष के पचास प्रतिशत हिस्से को रुपये से संबंधित अधिशेष में परिवर्तित कर इसे एक पखवाड़े के भीतर रुपए खाते में क्रेडिट करना होगा। इसके अलावा, कोई विदेशी मुद्रा अर्जक सभी विदेशी मुद्रा आय का पचास प्रतिशत (इसकी पिछली सीमा 100 प्रतिशत थी) गैर-ब्याज वाले ईईएफसी खाते में बनाए रखने का पात्र होगा। शेष 50 प्रतिशत को रुपए अधिशेष में बदलने के लिए अभ्यर्पित करना होगा।

3.83 रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को कम करने के लिए 21 मई 2012 को और उपाय किए। इन उपायों में शामिल हैं: बैंकों के वर्तमान एनओओपीएल एक्सचेंजों में मुद्रा फ्यूचर्स/ऑप्शन में ली गयी पोजिशन को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा जैसा कि रुपये को एक मुद्रा के तौर पर शामिल कर लिए गए पोजिशन के मामले में होता है; ओटीसी बाजार में लिए गए पोजिशनों को एक्सचेंजों में लिए गए पोजिशनों से निवलीकृत/समन्जित या इसके विपरीत नहीं किया जा सकता है; एक्सचेंजों में आरंभ किए गए पोजिशनों को केवल एक्सचेंजों में ही परिसमापन/बंद किया जा सकता है; मुद्रा फ्यूचर्स और ऑप्शन से संबंधित सौदों के लिए एक्सचेंजों में प्राधिकृत डीलर श्रेणी I व्यापारी सदस्य बैंक के लिए पोजिशन लेने की सीमा 100 मिलियन अमेरिकी डालर या बकाया खुली संविदा का 15 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हों, होगी। निर्यातकों को परिचालन संबंधी कुछ लचीलापन प्रदान करने के लिए 31 जुलाई 2012 को उन्हें अपने निर्यात एक्सपोजरों की हेजिंग के लिए कुल बकाया संविदा का 25 प्रतिशत निरस्त/पुनःबुक करने की अनुमति दी गयी।

3.84 इसके अलावा, 31 जुलाई 2012 को की गयी समीक्षा के बाद विदेशी मुद्रा आय की 100 प्रतिशत राशि को ईईएफसी खाते में क्रेडिट करने की अनुमति संबंधी पूर्व शर्त को बहाल करने का निर्णय लिया गया बशर्ते कैलेंडर माह के दौरान उपचय की गयी कुल राशि को अनुमोदित प्रयोजनों या भविष्य की प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करने के बाद अगले कैलेंडर महीने के अंतिम दिवस या इसके पहले रुपये में बदलना होगा।

विदेशों से सस्ते धन/ लॉटरी में जीत जैसे फर्जी प्रस्तावों के विरुद्ध चेतावनी

3.85 विदेशों से सस्ते धन से संबंधित फर्जी प्रस्तावों से जनता को आगाह करने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में कई जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कॉलेजों/स्कूलों को पत्र लिखे गए हैं एवं पुलिस कार्मिकों के लिए इंटरएक्टिव/प्रशिक्षण सत्र भी संचालित किए गए हैं। रिज़र्व बैंक ने अपने वेबसाइट पर उन नोडल एजेंसियों की सूची भी उपलब्ध करायी है जहां जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। इस संबंध में 6 फरवरी 2012 को एक विस्तृत प्रेस-विज्ञप्ति जारी की गयी। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठकों में इसे कार्यसूची की एक मद के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया। फर्जी प्रस्तावों के विरुद्ध अभियान को बैंक के आउटरीच कार्यक्रमों के अंग के रूप में भी शामिल किया गया है।

3.86 आईबीए के सदस्य बैंकों के बीच इस मुद्दे को प्रचारित करने की सलाह दी गई है। सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को यह भी कहा गया है कि कि ग्राहकों द्वारा उठाए गए उन नुकसानों के लिए वे जिम्मेदार होंगे, जिसमें बैंक ने लॉटरी, मनी सर्कुलेशन योजनाओं और सस्ते धन से संबंधित अन्य फर्जी प्रस्तावों के लिए धन-विप्रेषण से संबंधित विनियमों, केवाईसी, एएमएल/ और / या अन्य नियामक / सांविधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है। सहकारी बैंकों को भी इस मामले में सचेत किया गया है।

12 भुगतान और निपटान प्रणाली

3.87 वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक की विनियामक पहल पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट 2009-12 में दिए गए मिशन वक्तव्य द्वारा निर्देशित थी। वर्ष के दौरान उठाए गए प्रमुख नीतिगत कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं।

चेकों के शीघ्र समाशोधन की प्रणाली शुरू की गई

3.88 बाहरी केन्द्रों के चेकों के शीघ्र समाशोधन की सुविधा वाले गैर-एमआईसीआर[1] समाशोधन गृहों के लिए 2011 में शुरू की गई एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग प्रणाली (ईसीसीएस) 1,241 में से 1,170 केन्द्रों (30 जून 2012 तक) पर परिचालन में है।

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) का विस्तार

3.89 चेन्नै में ग्रिड-आधारित सीटीएस की शुरुआत कर सीटीएस के स्कोप में विस्तार किया गया। ग्रिड समाशोधन बैंकों को चेन्नै ग्रिड वाले स्थानों पर अपनी सेवा शाखाओं के माध्यम से किसी एकल समाशोधन गृह में अनेक शहरों से/को चेक प्राप्त/प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। एनपीसीआई को देश के सभी हिस्सों में ग्रिड-आधारित सीटीएस को लागू करने के लिए अखिल भारतीय स्तर का रोडमैप तैयार करने का काम सौपा गया है और उसने इसे तैयार भी कर लिया है।

इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणालियों तक अधिक लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए ऐक्सेस मानदंडों में संशोधन

3.90 भुगतान प्रणालियों तक अधिक लोगों की पहुंच और जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐक्सेस मानदंडों में सितंबर 2011 में संशोधन किया गया था। तद्नुसार, दो तरह के ऐक्सेस मानदंड बनाये गए, अर्थात एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए और दूसरे विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के लिए। सीआरएआर, एनपीए, नेटवर्थ और विनियामक विभाग की सिफारिशों के आधार पर बनाए गए संशोधित और युक्तिसंगत मानदंडों से केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत - दोनों भुगतान प्रणालियों तक पहुंचा जा सकता है। नये ऐक्सेस मानदंडों के तहत, 30 जून 2012 तक 53 बैंकों को केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियों के सदस्य बनने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। अप्रैल 2012 में एक उप-सदस्यता सुविधा भी शुरू की गई जिससे सभी लाइसेंस-प्राप्त बैंक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में भाग ले सकें। यह सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने प्रायोजित बैंक के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) में भाग लेने की सुविधा के अतिरिक्त दी गयी थी। जून 2012 की स्थिति के अनुसार, 82 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (12,000 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाएं) में से 71 बैंक एनईएफटी में भाग ले रहे हैं।

3.91 समाशोधन गृहों / प्रसंस्करण केन्द्रों को प्रबंधित कर रहे बैंकों को जुलाई 2011 से प्रवर्तक बैंकों से प्रोसेसिंग शुल्क वसूलने की अनुमति दी गई। अक्तूबर 2011 से, आरटीजीएस प्रणाली में जावक लेन-देनों के लिए सेवा शुल्क की भी शुरुआत की गयी।

वैकल्पिक भुगतान चैनलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्री-पेड भुगतान लिखतों के मानदंडों को आसान बनाया गया

3.92 प्री-पेड भुगतान लिखतों के लिए दिशा-निर्देश पहली बार वर्ष 2009 में जारी किए गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग ₹70 बिलियन से ऊपर के मूल्य के बराबर लगभग 591 मिलियन प्री-पेड भुगतान लिखत जारी किए गए। महीने में औसतन लगभग 49 मिलियन प्री-पेड भुगतान लिखत जारी किये गये जिसका मूल्य ₹6 बिलियन के बराबर था। प्री-पेड भुगतान लिखतों के निर्गम की वृद्धि अब तक गति नहीं पकड़ पाई है। इस भुगतान चैनल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसमें निम्नलिखित छूट प्रदान की गई (i) मोबाइल वालेट की सीमा को बढ़ाकर ₹50,000 कर दिया गया है जो पहले अन्य प्री-पेड भुगतान लिखतों की तरह केवल ₹5,000 तक जारी किए जा सकते थे; (ii) बैंकों को अनुमति दी गई कि वे सूचीबद्ध कंपनियों को प्री-पेड भुगतान लिखत जारी कर सकते हैं; इसमें कर्मचारियों की पहचान के सत्यापन का दायित्व संबंधित कंपनी का होगा। इसके अतिरिक्त, प्री-पेड भुगतान लिखतों के श्रेणीकरण और मूल्य सीमा को युक्तियुक्त बनाने के लिए इसे तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा गया (क) ₹10,000 तक के लिखत इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी किए जा सकते हैं, इनमें ग्राहक के संबंध में सूचना बहुत कम होती है, (ख) ₹10,001 से ₹50,000 हजार तक के लिखत इलेक्ट्रॉनिक किंतु नॉन-रिलोडेबल रूप में जारी किए जा सकते हैं और इनमें मनीलाड़रिंग अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं और (ग) पूर्ण रूप से केवाईसी वाले ₹50,000 तक के लिखत जिसे दोबारा रीलोड किया जा सकता है। घरेलू निधि अंतरण की मौजूदा योजना को भी युक्तियुक्त बनाया गया ताकि व्यक्ति से व्यक्ति के निधि अंतरण किया जा सके। इसी के साथ, एस्क्रो प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए गैर-बैंक संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे जारीकर्ता/एजेंट/वितरक द्वारा अंतिम प्रयोगकर्ता को प्री-पेड भुगतान लिखत की बिक्री के तुरंत बाद एस्क्रो खाते में क्रेडिट की जाए। इस बात का पुन: स्मरण कराया गया कि किसी भी समय अंतिम उपयोगकर्ता के पास के प्री-पेड भुगतान लिखत संबंधी बकाया शेष और अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा प्री-पेड भुगतान लिखत के प्रयोग से उभरने वाले दायित्वों को कवर करने के लिए एस्क्रो खाते में पर्याप्त शेष राशि होनी चाहिए।

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए मोबाईल बैंकिंग को प्रोत्साहन

3.93 बैंक के ग्राहकों द्वारा माबाइल फोन के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन-देन को मोबाईल बैंकिंग लेन-देन कहा जाता है जिसमें

[1] समाशोधन गृह जहां चेक छंटाई प्रणाली नहीं है।

ग्राहक के खातों में क्रेडिट/डेबिट शामिल होता है। मोबाइल बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एंड-टु-एंड एन्क्रिप्शन के बिना लेन-देनों की उच्चतम सीमा को ₹1000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया। इसके अलावा, प्रति लेन-देन ₹50,000 की सीमा को हटा दिया गया और बैंकों को अपनी जोखिम धारणा के अनुसार सीमा तय करने की अनुमति दी गयी। 'लाभ के लिए व्यापार' करने वाली कंपनियों को बिज़नेस कारेस्पांडेंट के तौर पर कार्य करने की अनुमति दी गयी जिसमें मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी शामिल हैं और उम्मीद है कि भारत में प्रारंभ की गई इस प्रकार की अनोखी बैंक-मोबाइल नेटवर्क आपरेटर साझेदारी मॉडल से मोबाइल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और मोबाइल नेटवर्क आपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराये जाने वाले बृहद नेटवर्क से वित्तीय समावेशन को भी फायदा पहुंचेगा।

व्हाइट लेबल एटीएम बैंक रहित /कम बैंक वाले क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच बढ़ाएंगे

3.94 देश में एटीएम के बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत बनाने की दृष्टि से विशेषकर टियर III से टियर VI केंद्रों पर गैर-बैंकों को भारत में अपने व्हाइट लेबल एटीएम की स्थापना करने तथा उनके परिचालन की अनुमति दी गयी। व्हाइट लेबल एटीएम परिचालित करने के लिए संस्थाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्त करना होगा जैसा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निर्धारित किया गया है। वे इन दिशा-निर्देशों में तय की गई तीन योजनाओं में से किसी एक योजना का चयन कर सकती हैं। कम बैंक वाले क्षेत्रों में एटीएम का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए यह अधिदेश दिया गया है कि किसी भी योजना के तहत नए व्हाइट लेबल एटीएम का 10 प्रतिशत टियर V और टियर VI केंद्रों पर स्थापित करना होगा। इस प्रकार की पहल से उम्मीद है कि भुगतान सेवाओं के लिए ऐक्सेस पॉइंट्स की उपलब्धता में बढ़ोतरी होगी (बॉक्स III.2)।

बॉक्स III.2 : व्हाइट लेबल एटीएम

स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) को बैंकिंग के इतिहास में नवोन्मेषी और क्रांतिकारी तकनीकी विकास में से एक माना जाता है। बैंक की शाखाओं में ग्राहकों के लिए नकदी के संवितरण के लिए एक माध्यम के रूप से आरंभ हुआ यह चैनल अब शाखाओं और सुविधाजनक ऑफ-साइट स्थानों पर विभिन्न बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के एक संपर्क-बिंदु के रूप में विकसित हो गया है। हालांकि प्रारंभ में बैंकों ने अपने स्वामित्व में ही इसे स्थापित किया और समय के साथ-साथ इसमें व्यापक परिवर्तन देखा गया और बैंक अब एटीएम संचालन के साथ जुड़े सभी या अधिकांश गतिविधियों जैसे तैनाती, अनुरक्षण, नकदी को लोड करना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन को आउटसोर्स करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें अपनी परिचालन लागत को कम करने और अपने मुख्य कारोबार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली है।

बैंक के स्वामित्व में स्थापित एटीएम के अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एटीएम कारोबार में स्वतंत्र एटीएम डिप्लॉयर (आईएडी) और स्वतंत्र सेवा संगठन (आईएसओ) लगे हैं। ऐसे एटीएम को व्हाइट लेबल एटीएम (डब्लयूएलए) कहा जाता है। निम्नलिखित अंतरों को छोड़कर आईएडी और आईएसओ अपने संचालन में लगभग एक समान हैं:

(i) आईएसओ आमतौर पर बड़े ऑपरेटर होते हैं जो एटीएम और इससे संबंधित बुनियादी सुविधाओं के स्वयं मालिक होते हैं और इसकी तैनाती भी करते हैं। उनका बैंकों के साथ नकदी लोड करने और अन्य सेवाओं के लिए एक प्रायोजन व्यवस्था होती है। प्रायोजक बैंकों के साथ उनके रिश्ते *स्थानीय विनियामक अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। आईएसओ योजना या तो किसी एकल प्रायोजक बैंक या बहु-प्रायोजक बैंक मॉडल के माध्यम से काम करती है।*

(ii) आईएडी मॉडल में, संस्थाएं आस्तियों में निवेश (एटीएम) पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे खुद के एटीएम *की मालिक होती हैं और भुगतान बुनियादी ढांचे के लिए किसी भी मौजूदा नेटवर्क प्रदाता से जुड़ती हैं। आईएडी में व्यक्तिगत कारोबारी से लेकर बड़े खुदरा आउटलेट/* सुपर मार्केट तक की संस्थाएं शामिल हो सकती हैं। ऐसी संस्थाओं *की,* एटीएम में नकद लोडिंग सहित एटीएम के परिचालन से संबंधित किसी भी पहलू के लिए किसी भी बैंक के साथ, *कोई प्रत्यक्ष व्यवस्था नहीं होती।*

दोनों मॉडल में, ऑन-साइट विज्ञापन अतिरिक्त आय का मुख्य स्रोत है। आईएडी/आईएसओ के लिए राजस्व का एक बड़ा हिस्सा इस तरह के विज्ञापनों के माध्यम से आता है।

भारत में एटीएम और डब्ल्यूएलए योजना

देश में एटीएम की संख्या 98,074 हैं जिनमें से 38 प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों, 33 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र के बैंकों, 27 प्रतिशत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं उसके सहयोगी बैंकों और 2 प्रतिशत विदेशी बैंकों के स्वामित्व में हैं। 2008 के बाद से देश में लगाए गए एटीएम की संख्या में 30 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई है लेकिन टियर III से टियर VI केंद्रों में एटीएम की संख्या में अपेक्षानुसार बढ़ोतरी नहीं हुई है। बैंक रहित/ बैंकों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा संचालित किए जा रहे मौजूदा एटीएम के अतिरिक्त देश में *व्हाइट लेबल एटीएम लगाने की अनुमति दी है। नीतिगत दिशा-निर्देशों के तहत कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में निगमित गैर-बैंकिंग संस्थाएं भारत में एटीएम स्थापित करने, स्वामित्व प्राप्त करने और परिचालित करने के लिए अधिकृत होंगी जो बैंकों द्वारा जारी कार्ड (डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड) के आधार पर भारत में बैंकों के ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। ऐसी गैर-बैंकिंग संस्थाओं के पास नवीनतम वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार न्यूनतम 1 बिलियन रुपये की निवल राशि होनी चाहिए जिसे हमेशा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। मॉडल में यह परिकल्पना की गई है कि नकदी प्रबंधन और ग्राहकों के शिकायत निवारण की जिम्मेदारी प्रायोजक बैंक की होगी। इस योजना से विशेष रूप से बैंक रहित/ बैंकों की कम संख्या वाले क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में कारोबार की गुंजाइश है। यह उम्मीद है कि भारत में व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर दिशा-निर्देशों के तहत आईएडी और आईएसओ मॉडल की विशेषताओं को उपयोग में लाएंगे और प्रायोजक बैंकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे।*

औपचारिक मुद्रा हस्तांतरण प्रणाली तक प्रवासी जनसंख्या की पहुंच बढ़ाना

3.95 औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के बाहर रहने वाली प्रवासी जनसंख्या की सुविधा के लिए घरेलू मुद्रा हस्तांतरण दिशा-निर्देशों को अक्तूबर 2011 में आसान बनाया गया जिससे वे बैंक खाते के बिना भी मुद्रा का हस्तांतरण कर सकें (विस्तृत जानकारी के लिए वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 की बॉक्स सं. IX.1 देखें।)

भारत में भुगतान प्रणाली: विज़न 2012-2015 का उद्देश्य भुगतान प्रणाली को संरक्षित, सुरक्षित और समावेशी बनाना है

3.96 भुगतान प्रणाली विज़न दस्तावेज 2012-2015 जारी कर दिया गया है। इस दस्तावेज में 2012-2015 के लिए रास्ते तय किए गए हैं जिनसे देश की बढ़ती हुई भुगतान की जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस दस्तावेज़ के अंत में तीन वर्षों की अवधि में देश की भुगतान प्रणाली को संरक्षित और सुरक्षित, इंटरऑपरेबल, प्राधिकृत, सुलभ, समावेशी और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की रूपरेखा तय की गयी है। इस विज़न दस्तावेज में देश में कम नकदी पर निर्भर समाज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को प्रोत्साहित करने संबंधी दृष्टिकोण रखा गया।

भुगतान और निपटान प्रणालियों की निगरानी

3.97 रिज़र्व बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत प्राप्त शक्तियों के आधार पर ऑनसाइट निरीक्षण, ऑफसाइट निगरानी के साथ-साथ बाजार सूचना तंत्र के माध्यम से अपना निगरानी संबंधी कार्य पूरा करता है। वर्ष 2011-2012 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनसीपीआई) सहित 11 संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। ऑफसाइट निगरानी प्रणाली के तहत ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग सिस्टम (ओआरएफएस) के माध्यम से तय टेम्प्लेट में भुगतान प्रणाली से संबंधित आंकडे इकट्ठा किए जाते हैं।

13. प्रौद्योगिकीय गतिविधियां

बैंक कारोबार निरंतरता/संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच आयोजित करते हैं

3.98 बैंकिंग कारोबार चलाने में प्रौद्योगिकी का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता को ध्यान में रखते हुए, कारोबार की निरंतरता बनाए रखना समग्र वित्तीय स्थिरता की दृष्टि से चुनौती बना हुआ है। अत: बैंकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वे उपयुक्त कारोबार निरंतरता योजना अपनाएं। इसके अलावा, बैंकों के लिए यह महत्त्वपूर्ण हैं कि वे अकस्मात आने वाले व्यवधानों से निपटने के लिए अपने कोर बैंकिंग समाधान और अन्य आंतरिक प्रणालियों की जांच करने के लिए डिजास्टर रिकवरी ड्रिल का नियमित आधार पर आयोजन करें। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि इन व्यवस्थाओं की आवधिक जांच होनी चाहिए। साथ ही, इस बात को देखते हुए कि साइबर हमले गोपनीयता, एकात्मकता और आंकड़ों की उपलब्धता तथा प्रणाली को हानि पहुंचा सकते हैं, बैंकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ऐसे हमलों को रोकने के लिए संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच का आवधिक रूप से आयोजन करें। रिज़र्व बैंक को यह जानकारी तिमाही आधार पर प्राप्त होती है जिसका सारांश वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में इनपुट के रूप में लिया जाता है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे कारोबार निरंतरता योजना/डिजास्टर रिकवरी/संवेदनशीलता आकलन और पहुंच जांच कैलेंडर के लिए अपने बोर्ड/शीर्ष प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त करें।

सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा गवर्नेंस के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करना

3.99 जैसाकि वार्षिक नीति वक्तव्य 2012-13 में घोषणा की गई है, बैंकों द्वारा सुव्यवस्थित आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) गवर्नेंस मॉडल अपनाने से उन्हें अपने आईटी और कारोबार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी, उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य सर्वोत्तम प्रथाओं के और समीप जा पाएंगे और इस तरह उनके आईटी निष्पादन में समग्र रूप से सुधार हो पाएगा तथा साथ ही वे बेहतर ढंग से नियंत्रण और सुरक्षा कर पाने में सक्षम होंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन से बैंकों के लिए आवश्यक है कि वे सुव्यवस्थित आईटी गवर्नेंस मॉडल अपनाएं। इसके अलावा, बैंक अपने कारोबार के परिचालन और बाजार में पैठ बनाने के लिए विभिन्न आईटी आधारित चैनलों पर अधिकाधिक भरोसा कर रहे हैं। नए अवसरों का लाभ उठाने में बैंकों की योग्यता मुख्य रूप से उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सुगम और सुरक्षित सेवा चैनलों पर निर्भर करती है। तथापि, इससे प्रौद्योगिकी में उनके एक्सपोजर और परिचालनगत जोखिमों में वृद्धि होगी,

जिसका अलग-अलग बैंकों और साथ ही समूचे वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इन चुनौतियों का सामना के लिए बैंकिंग की वर्तमान परिस्थिति, कारोबारी लक्ष्य, प्रक्रिया, लोग और प्रौद्योगिकी के अनुरूप एक व्यापक सूचना सुरक्षा (आईएस) ढांचा अपनाना अवश्यंभावी है। इसलिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे आईटी और आईएस गवर्नेंस के उपयुक्त ढांचे के लिए उचित कदम उठाएं और उचित ढांचा एवं प्रणाली लागू करें जिससे यह सुनिश्चित हो पाए कि गवर्नेंस, सूचना सुरक्षा और कारोबार की निरंतरता से जुड़े मुद्दों को बोर्ड स्तर पर पर्याप्त तवज्जो मिले।

14. बैंकिंग क्षेत्र विधान

3.100 वर्ष के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए कई वैधानिक परिवर्तन किए गए। वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग की स्थापना संबंधी कार्रवाई सबसे महत्त्वपूर्ण गतिविधि रही है और इसके गठन से भारत में वित्तीय क्षेत्र को अधिशासित करने वाले वर्तमान वैधानिक और विनियामक ढांचे की समीक्षा एवं जांच का मार्ग प्रशस्त होगा।

(क) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011

3.101 फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011, 2 अप्रैल 2012 को लागू हुआ। यह अधिनियम एक ऐसा विनियामक ढांचा उपलब्ध कराता है जिसके तहत फैक्टरों के लिए आवश्यक है कि वे रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण कराएं। रिज़र्व बैंक को दिशानिर्देश जारी करने, सूचना मंगवाने और इस हेतु शक्ति प्रदान की गई है कि वह ऐसे वित्तीय संस्थाओं को फैक्टरिंग का काम करने से रोके जो इन दिशानिर्देशों का पालन न करते हों। रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन न करने पर दंड लगाने का प्रावधान किया गया है। कोई कंपनी, बड़ी हो या छोटी, उसे फैक्टरिंग का कार्य करने के लिए रिज़र्व बैंक के पास पंजीकरण करवाना आवश्यक है और यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी और साथ ही फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम के अधीन होगी। ऐसी आशा है कि केंद्रीय रजिस्ट्री (सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत गठित) के पास अपेक्षित पंजीकरण के बाद प्राप्तियों के प्रति वित्तपोषण में तेजी आएगी। इससे एक ही प्राप्ति के लिए एक से अधिक वित्तपोषण किए जाने का जोखिम कम होगा और बैंकों का एनपीए कम करने में यह मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी कंपनियां, जिनका मुख्य कार्यकलाप वित्त से संबंधित नहीं है, भी अब रिज़र्व बैंक की विनियामक परिधि में आ जाएंगी।

(ख) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 द्वारा सिक्का निर्माण और टकसाल से जुड़े कानूनों का समेकन

3.102 सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011, 28 मार्च 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम ने सिक्का निर्माण और टकसालों से संबंधित कानूनों को समेकित किया है और पुराने सिक्का निर्माण अधिनियम को निरस्त किया गया है। इस अधिनियम में भारत सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को सिक्का निर्माण करने, ढालने और नष्ट करने से प्रतिबंधित किया गया है और इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। सिक्के के रूप में इस्तेमाल होने वाली धातु के किसी टुकड़े को भारत सरकार की अनुमति के बिना समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा लाए जाने की मनाही है।

(ग) एक्ज़िम बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011 से इस बैंक का पूंजी आधार मजबूत हुआ

3.103 भारतीय निर्यात-आयात बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2011, 1 फरवरी 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम में एक्ज़िम बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹20 बिलियन से बढ़ाकर ₹100 बिलियन करने का प्रावधान किया गया। इसमें एक्ज़िम बैंक के बोर्ड में केंद्र सरकार द्वारा दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान भी है।

(घ) सहकारी संस्थाओं के लोकतांत्रिक और पेशेवर प्रबंधन को प्रोन्नत करने हेतु संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011

3.104 संविधान (सत्तावनवां संशोधन) अधिनियम, 2011, 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ। इस अधिनियम में राज्य के नए नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश है जिसके तहत राज्य से अपेक्षित है कि वह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर ढंग से उनके प्रबंधन को बढ़ावा दे। संविधान का भाग IX बी बहु-राज्य सहकारी समितियों के मामलों में संसद और अन्य सहकारी समितियों के मामले में राज्य विधान मंडलों को यह अधिकार देता है कि वे सहकारी समितियों के निगमन, विनियमन और समापन के लिए उपयुक्त कानून बनाएं। यह कानून लोकतांत्रिक सदस्य-नियंत्रण, सदस्य-आर्थिक सहभागिता और स्वायत्त कार्यचालन के सिद्धांतों पर आधारित होगा और यह निर्दिष्ट करेगा कि किसी सहकारी समिति में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक न हो और बोर्ड के चयनित

सदस्यों तथा इसके पदाधिकारियों के संदर्भ में इनकी कालावधि चुनाव की तारीख से पांच वर्ष की तक की अवधि के लिए हो। राज्य विधानमंडल को सुनिश्चित करना होगा कि राज्य के कानून संविधान में निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हों और राज्यों का हस्तक्षेप कम हो जाए। इस संशोधन में निर्दिष्ट किया गया है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के ऐसे प्रावधान, जो निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण और निलंबन से संबंधित हैं, बैंकिंग कार्यकलाप करने वाली सहकारी समितियों पर लागू होंगे।

(ङ) प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली (संशोधन) विधेयक, 2011

3.105 यह विधेयक लोकसभा में 12 दिसंबर 2011 को प्रस्तुत किया गया और लंबित है। इसमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह विधेयक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह शक्ति प्रदान करता है कि जब उन्हें इन प्रतिभूतियों का कोई खरीददार न मिले तो बैंक चूक करने वाले उधारकर्ता के विरुद्ध अपने दावों की पूरी या आंशिक संतुष्टि के लिए उसकी अचल संपत्ति स्वीकार कर ले। ऋण वसूली न्यायाधिकरण के जरिए वसूली के उपाय जो बहुराज्य सहकारी बैंकों को उपलब्ध नहीं थे, उन्हें अब उपलब्ध करा दिया गया है और इसके लिए बहुराज्य सहकारी बैंकों को ऋण वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम में निर्धारित बैंक की परिभाषा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है; इस प्रकार बहुराज्य सहकारी बैंकों के लिए बहुराज्य सहकारी सोसायटी समिति अधिनियम, 2002 के तहत उपलब्ध वसूली प्रक्रिया के अलावा एक अतिरिक्त प्रभावी वसूली प्रक्रिया का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

(च) बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

3.106 13 दिसंबर 2011 को स्थायी वित्त समिति ने लोकसभा में बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 2011, जिसे पहले 22 मार्च 2012 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(छ) वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग

3.107 भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसार 24 मार्च 2011 को वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग (अध्यक्षः जस्टिस बी.एन. श्रीकृष्ण) का गठन किया। इसमें विचारार्थ मुद्दे विस्तृत हैं और इसमें भारत के वित्तीय क्षेत्र को अभिशासित करने वाले वैधानिक एवं विनियामक प्रणाली के ढांचे की जांच और वित्तीय क्षेत्र को अधिशासित करने वाले वर्तमान कानूनों की समीक्षा को शामिल किया गया है। रिज़र्व बैंक के अभिमत, सुझाव और इनपुट को आयोग में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक को स्पष्ट तथा विशिष्ट अधिदेश की आवश्यकता, सार्वजनिक जमाराशियों के विनियमन में रिज़र्व बैंक का एकाधिकार, बैंकिंग विधियों का समेकन, वैश्विक स्तर के अनुकूल गोपनीयता संबंधी विधि की आवश्यकता और ऋण प्रबंधन कार्य को रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखना।

15. समग्र मूल्यांकन

3.108 2011-12 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की नीति समष्टि आर्थिक नीति के विस्तृत उद्देश्यों के अनुरूप बनी हुई थी, जैसे मूल्य स्थिरता, वृद्धि, वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र का विस्तृत विकास और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को निर्बाध रूप से ऋण मिलना जारी रहे। कमजोर हो रही घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक को मूल्य स्थिरता और वृद्धि के बीच एक सुव्यवस्थित संतुलन बिठाना पड़ा। रिज़र्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय बाजार निर्विघ्न रूप से चलता रहे, प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि बनाए रखने के प्रयोजन से कई उपाय किए। विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता रोकने के लिए कई प्रशासनिक कदम भी उठाए गए।

3.109 वर्ष के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानदंडों पर फिर से विचार किया गया ताकि व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों को सीधे कृषि ऋण प्राप्त होने और बैंकों द्वारा सीधे, न कि मध्यस्थों के जरिए, ऋण दिए जाने पर दुबारा से ध्यान दिया जा सके। किसानों की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई और कृषि के वास्ते मिलने वाले वित्त की उपलब्धता में सुधार लाने के प्रयोजन से रियायती पुनर्वित सुविधा भी प्रदान की गई।

3.110 वैश्विक वित्तीय बाजार में उथल-पुथल की स्थिति के बीच बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को बढ़ती जटिलताओं और अपने कारोबार से जुड़े जोखिमों का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में, नितिगत पहल जैसे बासल II के उन्नत मानदंड अपनाने, बासल

III मानदंडों को चरणबद्ध रूप से लागू करने, एक क्रियाशील प्रावधानीकरण ढांचा/प्रति-चक्रीय पूंजी बफर तैयार करने, सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप प्रतिभूतिकरण मानदंड अपनाने, अच्छी प्रतिपूर्ति प्रथाएं और बैंकों के लिए एक जोखिम आधारित पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अपनाने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली को एक मजबूत आधार मिलेगा और साथ ही वित्तीय एवं आर्थिक दबाव से होने वाले आघातों को सहने की उनकी क्षमता बढ़ेगी और वे विवेकपूर्ण जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित हो पाएंगे। बैंकों में ग्राहक सेवा पर गठित समिति (अध्यक्षः श्री एम. दामोदरन) की सिफारिशों को लागू करने से बैंकों में ग्राहक सेवा में सुधार होने की आशा है। एनबीएफसी के लिए उचित प्रथा कोड लागू करने से उनमें चिर-प्रतीक्षित पारदर्शिता और उचित प्रथा आएगी और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा हो पाएगी। वित्तीय समावेशन के लिए बहुआयामी रणनीति और आउटरीच कार्यक्रमों से देश के दूर-दराज इलाकों तक बैंकिंग प्रणाली की पहुंच बढ़ने की आशा है। अन्य प्रमुख नीतिगत गतिविधियों में धनशोधन/आतंकवाद वित्तपोषण कार्यकलापों से लड़ने और भुगतान तथा निपटान प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं। वित्तीय क्षेत्र में आगे और सुधार लाने के प्रयोजन से अन्य प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय क्षेत्र वैधानिक सुधार आयोग की स्थापना शामिल है।

3.111 अंततः, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की प्रतिरोधी-क्षमता में सुधार लाने के लिए एक विश्वसनीय मुहिम, जो प्रणालीगत जोखिम को रोकने पर फोकस करे, से वित्तीय स्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में हुई वृद्धि वास्तविक क्षेत्र में हुई वृद्धि के समरूप होनी चाहिए और साथ ही इसे घरेलू समष्टि आर्थिक फंडामेंटल्स के अनुरूप होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में समग्र रूप से समावेशी वृद्धि लाने के लिए यह आवश्यक है कि बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय समावेशन के एजेंडे को और अधिक सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना के साथ पूरा करे।